Azadi Ka Amrit Mahotsav

26वाँ अंक
जुलाई-दिसम्बर 2023

दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण

(भारत का नं. 1 महापत्तन)

लहरों का राजहंस

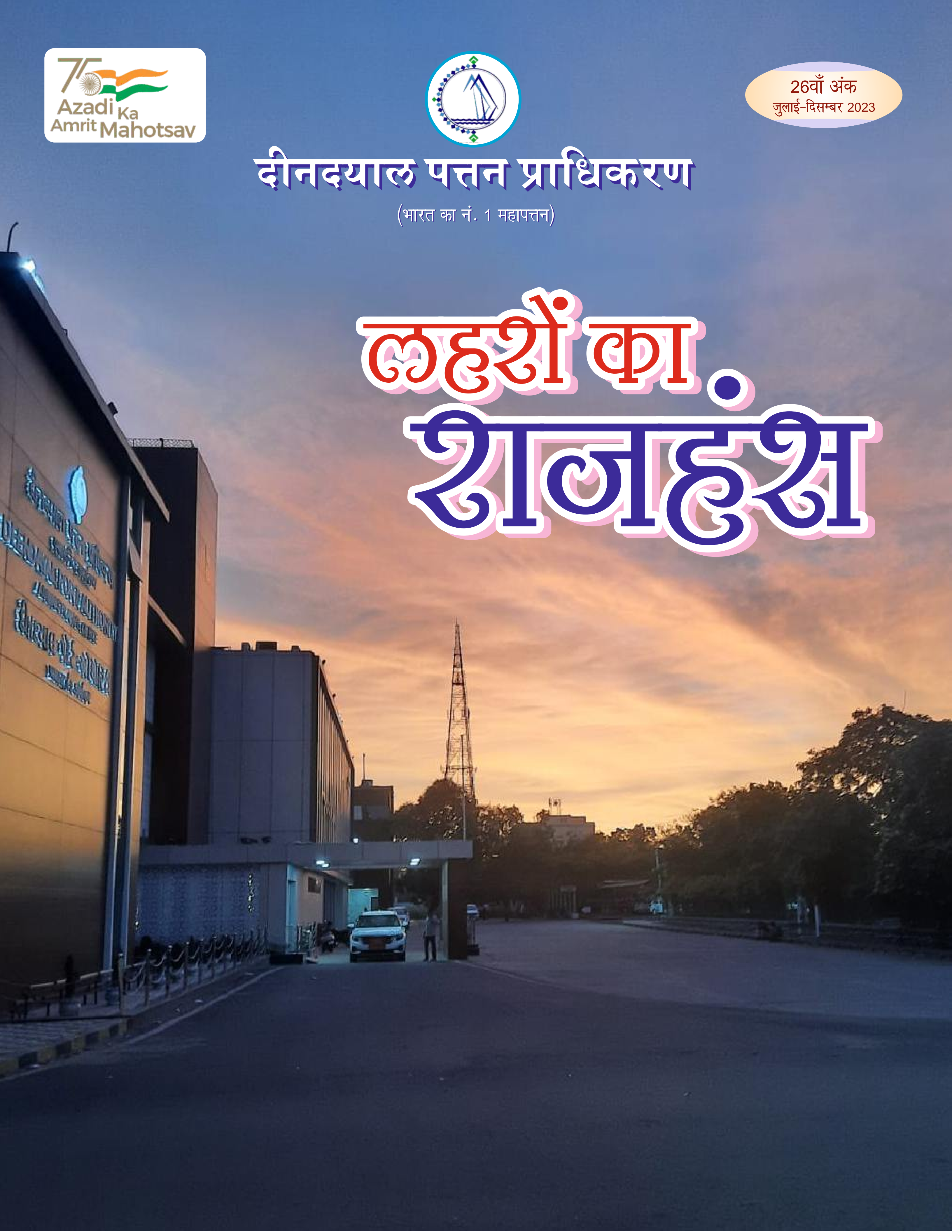

स्पेशल कैम्पेन 3.0 के तहत आज आयोजित समारोह में विभाग प्रमुखों, अधिकारियों और कर्मचारियों को अध्यक्ष श्री एस.के.मेहता ने अंग्रेजी में और उपाध्यक्ष श्री नंदीश शुक्ल ने हिंदी में स्वच्छता शपथ दिलाई।

हिंदी पखवाड़ा 2023 के तहत पोर्ट के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए हिंदी निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

हिंदी पखवाड़ा 2023 के तहत पोर्ट के अधिकारियों और कर्मचारियों की अध्ययनरत संतानों और नराकास सदस्य कार्यालयों के कार्मिकों के लिए अलग-अलग हिंदी निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

हिंदी पखवाड़ा 2023 के तहत पोर्ट के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए हिंदी टिप्पण/प्रारूपण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

श्री सुशील कुमार सिंह
भा.रे.से.मै.इं.
अध्यक्ष,
दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण

अध्यक्ष महोदय का संदेश

यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण की हिंदी गृह पत्रिका 'लहरों का राजहंस' के नियमित प्रकाशन द्वारा राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। पत्रिका के छब्बीसवें अंक के माध्यम से आप सभी से संवाद स्थापित करते हुए मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है।

सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के प्रयासों के फलस्वरूप दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण में राजभाषा हिंदी का कार्यान्वयन लक्ष्यानुरूप बना हुआ है। इस उपलब्धि के लिए दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी सराहना के पात्र हैं। इसके अलावा दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण, कंडला/गांधीधाम की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) की अध्यक्षता के दायित्व को भी बखूबी निभा रहा है और नगर में केन्द्र सरकार के कार्यालय नराकास की गतिविधियों में अपना योगदान देकर इसके गठन के उद्देश्य को पूरा करने में अपना सहयोग दे रहे हैं।

दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण ने कार्गो प्रहस्तन के मामले में वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान निर्धारित लक्ष्य को पार करते हुए 131.57 मिलिटन मीट्रिक टन कार्गो प्रहस्तन का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। यह भी अत्यंत हर्ष का विषय है कि राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में राजभाषा हिंदी में उत्कृष्ट कार्य हेतु पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय की शील्ड योजना के तहत दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण को 'ख' क्षेत्र के लिए वर्ष 2013-14, 2014-15 और 2015-16 के लिए द्वितीय पुरस्कार एवं वर्ष 2018-19 के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। मुझे पूरा विश्वास है कि सभी के संगठित प्रयासों से हम न केवल इस वर्ष भी उपलब्धियों को बनाए रख पानें में सक्षम होंगे, बल्कि इन्हें और अधिक ऊँचे स्तर तक ले जा पाएंगे।

अंत में, हिंदी गृह पत्रिका के प्रकाशन से जुड़े सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सफल प्रयासों की मैं सराहना करता हूँ और उन्हें बधाई देता हूँ, साथ ही आशा करता हूं कि पत्रिका अपने प्रकाशन से उद्देश्य में सफल सिद्ध होगी।

हार्दिक शुभकामनाओं सहित।

'हिंदी भाषा एक ऐसी सार्वजनिक भाषा है, जिसे बिना भेद-भाव प्रत्येक भारतीय ग्रहण कर सकता है।'
– मदन मोहन मालवीय

श्री नंदीश शुक्ल
आई.आर.टी.एस.
उपाध्यक्ष,
दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण

उपाध्यक्ष महोदय का संदेश

देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में राजभाषा हिंदी का अहम योगदान है। सच्चे अर्थों में यदि कहें, तो हिंदी हमारी संस्कृति, आदर्श, संस्कारों और हमारे जीवन मूल्यों की सच्ची परिचायक और संवाहक भी है। राजभाषा हिंदी का प्रयोग करना हमारा संवैधानिक दायित्व है। दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन में हमेशा अग्रणी बने रहने का प्रयास करता रहा है और पत्रिका का प्रकाशन इस प्रयास का एक अभिन्न अंग है।

हर्ष का विषय है कि दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण की छमाही गृह पत्रिका 'लहरों का राजहंस' का छब्बीसवां अंक प्रकाशित हो रहा है। हिन्दी की यह गृह पत्रिका पत्तन में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपनी रचनाधर्मिता लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए एक सशक्त मंच प्रदान करती है, साथ ही उन्हें अपना मौलिक साहित्य सृजित करने की प्रेरणा भी देती है।

पत्तन के अधिकारी और कर्मचारी सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में पहले से ही अपना सक्रिय योगदान करते आ रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि पत्तन के कामकाज में राजभाषा हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए सभी अधिकारी और कर्मचारी अपने संवैधानिक उत्तरदायित्व को समझते हुए अपना योगदान आगे भी बढ़-चढ़ कर देते रहेंगे।

मैं पत्रिका के प्रकाशन से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से जुड़े सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का अभिनंदन करते हुए आप सभी को बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूं।

धन्यवाद।

भारत में अंतरप्रांतीय व्यवहार के लिए समान भाषा का दर्जा हिन्दी को ही दिया जा सकता है
– डॉ॰ भंडारकर

श्री सी. हरिचंद्रन
सचिव
दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण

सचिव का संदेश

मुझे बहुत प्रसन्नता है कि दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण की हिंदी गृह पत्रिका 'लहरों का राजहंस' का छब्बीसवां अंक आप सब के सम्मुख है। हिंदी गृह पत्रिका का प्रकाशन दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण की नियमित गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण अंग है जो राजभाषा कार्यान्वयन की गति को तीव्रता प्रदान करती है। आशा है कि पिछले अंकों की तरह यह अंक भी आप सभी को पसंद आएगा।

केन्द्र सरकार के पोत परिवहन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत निकाय होने के नाते दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण भारत सरकार द्वारा लागू सभी नीतियों का अनुपालन करता है। जब कि संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को अपनाया गया है, अतः हम सबको अपना कार्य यथासंभव हिंदी में करना चाहिए ताकि संविधान की मूल भावना का पालन हो सके। कहने की आवश्यकता नहीं है कि आम जन की भाषा में सरकारी कामकाज करने से विकास की गति और तेज होगी और पारदर्शिता भी आएगी।

राजभाषा हिंदी में सरकारी कामकाज को बढ़ावा देने के लिए सरकार की नीति प्रेरणा और प्रोत्साहन की रही है, जिसका अनुपालन दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण में भी हो रहा है। दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण में सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए कई प्रोत्साहन योजनाएँ लागू हैं। इसके अलावा हिंदी दिवस/पखवाड़ा का आयोजन, नियमित हिंदी कार्यशालाओं के आयोजन के साथ-साथ लेखन आदि के क्षेत्र में रुचि रखने वाले दीनदयाल पत्तन के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं उनके परिजनों के लिए उनकी सृजनात्मक क्षमता का सार्वजनिक प्रदर्शन करने में सहायता हेतु हिंदी गृह पत्रिका का छमाही प्रकाशन भी किया जाता है। इन सब का उद्देश्य दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण में कर्मचारियों तथा उनके परिवारजनों को हिन्दी के प्रयोग हेतु प्रोत्साहित करना है। दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण कंडला/गांधीधाम क्षेत्र की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की अध्यक्षता के दायित्व का भी बखूबी निर्वहन कर रहा है।

दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण द्वारा राजभाषा विभाग के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सतत प्रयात जारी रखने की आवश्यकता है ताकि पत्तन राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में शीर्षतम बिंदु को स्पर्श कर सके। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि अपने दैनिक कार्यालयीन कार्यों में राजभाषा हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करते हुए संघ सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन में लिए जा रहे पत्तन के प्रयासों को मजबूती प्रदान करें ताकि हमारे प्रयासों को मूल्यांकन के सभी स्तरों पर मान्यता और सम्मान प्राप्त होता रहे।

हार्दिक शुभकामनाओं सहित।

जब तक आपके पास राष्ट्रभाषा नहीं, आपका कोई राष्ट्र नहीं - मुंशी प्रेमचंद।

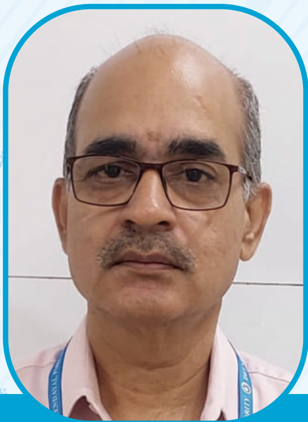

श्री रोहित त्रिपाठी
हिंदी अधिकारी
एवं
संपादक, लहरों का राजहंस

'संपादकीय'

दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण की हिंदी गृह पत्रिका 'लहरों का राजहंस' का 26वां अंक आपके हाथों में है। इस अंक में हमने पत्रिका के कलेवर में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं और पत्रिका को राजभाषा विभाग के निदेशानुसार बनाने का प्रयास किया है। इसलिए पत्रिका में कार्यालयीन कामकाज से संबंधित लेखों को बढ़ाया गया है। इनमें किसी पत्तन की सबसे महत्वपूर्ण कार्रवाई, अर्थात् जलयानों के पायलटेज से संबंधित आलेख शामिल किया गया है, जिसमें एक पायलट को जलयान के संचालन में होने वाली समस्याओं का बहुत ही सरल भाषा में प्रस्तुतीकरण किया गया है। इसी प्रकार दीनदयाल पत्तन में किए जा रहे निगमित सामाजिक कार्यों की गतिविधियां भी सम्मिलित की गई हैं। हमने पत्रिका में पत्तन की गतिविधियों को समाचार रूप में भी प्रस्तुत किया है। पत्तन कर्मियों और उनके परिवार जनों के तकनीकी प्रकृति के आलेखों को भी प्राथमिकता देते हुए शामिल किया गया है। हर बार की तरह कहानियां और कविताएं आदि सृजनात्मक रचनाएं तो आपके मनोरंजन के लिए हैं ही। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इन परिवर्तनों के साथ हमारी पत्रिका पसंद आएगी। मुझे विश्वास है कि आप अपनी प्रतिक्रियाएं देकर हमारा मार्गदर्शन अवश्य करेंगे।

इन्हीं शुभकामनाओं के साथ,

आपका अपना,
रोहित त्रिपाठी

'हिंदी हमारे राष्ट्र की अभिव्यक्ति का सरलतम स्त्रोत है।'- सुमित्रानंदन पंत

||| सुभाषितानि ||

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः |
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ||

श्रीमद्भगवद्गीता (3.21)

श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, सामान्य जन उसका अनुसरण करते हैं। समस्त विश्व उनके उत्कृष्ट आचरण द्वारा स्थापित आदर्शों का अनुकरण करने का प्रयत्न करता है।

लहरों का राजहंस

26वाँ अंक
जुलाई 2023 - दिसम्बर 2023

संरक्षक
श्री सुशील कुमार सिंह - भा.रे.से.मै.ई.
अध्यक्ष

उप–संरक्षक
श्री नंदीश शुक्ल - आई.आर.टी.एस.
उपाध्यक्ष

मार्गदर्शक
श्री सी. हरिचंद्रन - सचिव
श्री प्रदीप महान्ति - उप संरक्षक
श्री बी. भाग्यनाथ - वि.स. एवं मु.ले.अ.
श्री बी. रत्नशेखर - यातायात प्रबंधक
डॉ. अनिल चेलानी - मुख्य चिकित्सा अधिकारी
श्री वी. रवीन्द्र रेड्डी - मुख्य अभियंता
श्री ए. रामास्वामी - मुख्य प्रचालन प्रबंधक
श्री सुशीलचंद्र नाहक - मुख्य यांत्रिक अभियंता

संपादक
श्री रोहित त्रिपाठी - हिंदी अधिकारी

उप–संपादक
डॉ. महेश बापट - वरि. उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी
श्री ओम प्रकाश दादलानी - जनसंपर्क अधिकारी
श्री राजेश रोत - उप सामग्री प्रबंधक

सहायक संपादक मंडल
श्रीमती संगीता खिलवानी - वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक
सुश्री इशरावती यादव - हिन्दी अनुवादक
श्री हरीश बचवानी - वरिष्ठ लिपिक

अनुक्रमणिका

			पृष्ठ सं.
1	समुद्री पायलटों के कार्य से संबंधित जोखिम	कप्तान प्रदीप महान्ति	1
2	अभियांत्रिकी का चमत्कार : नया डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर कन्वेंशन सेंटर	श्री वी. रविन्द्र रेड्डी	2
3	गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM)	कु. जिनल सोलंकी	4
4	चंद्रयान / सलाम टीम **ISRO**	श्री कमल आसनानी	6
5	वर्तमान भाारतीय शिक्षा प्रणाली की समस्याएँ	श्री भावेश बचवानी	8
6	कार्यालयों में राजभाषा हिंदी का महत्व और विकास	श्रीमती संगीता खिलवानी	10
7	राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका	श्री करसन ए. धुआ	12
8	दुकान (कहानी)	श्री रोहित त्रिपाठी	13
9	झूठा दिखावा - हिंदुस्तान के भविष्य को खतरा	श्री नरेश बी. भावनानी	14
10	पेड़ हमारे सच्चे साथी	श्रीमती लता दवे	15
11	दानवी चक्रवात	श्रीमती आरती निहालानी	16
12	बिखरा स्वपन	सुश्री शुभी यादव	16
13	हमारी संस्कृति को दर्शाता नवरात्रि का त्योहार	श्री प्रतिक एन. भावनानी	17
14	पाप का फल भोगना ही पड़ता है	कु. अंजली एस. पनीकर	18
15	आज ही क्यों नहीं ?	श्रीमती हेमलता बी. पवागढ़ी	20
16	कबीर अमृतवाणी	श्री सागर एच. गढवी	22
17	देश की धरोहर है बेटियां	श्रीमती ज्योति एन. भावनानी	23
18	माँ	सुश्री ईला वेदान्त	24
19	जीवन की सच्चाई	श्रीमती सोनिया जे. हेमनानी	25
20	आत्म दर्शन / सुकून	श्री गोपाल शर्मा	26
21	जानामि धर्म	श्री राजेश वी. रोत	26
22	सकारात्मक सोच (कविता)	श्रीमती अंजू बी. आहूजा	27
23	लोग हैं	श्रीमती तन्वी उचवानी	28
24	परवरिश	सुश्री पर्ल उचवानी	29
25	राजभाषा नियम	-	30
26	राजभाषा नीति का कार्यान्वयन अनुपालनार्थ विशेष ध्यान देने योग्य बिंदु	-	33

समुद्री पायलटों के कार्य से संबंधित जोखिम

कप्तान प्रदीप महान्ति
उप संरक्षक
समुद्री विभाग

1. मौसम की चुनौतियाँ :
समुद्री पायलटों को अक्सर कठोर मौसमी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तूफान, भारी बारिश, तेज हवाएं और उफान वाले समुद्र जैसे कारण समुद्री पायलटों के काम को अत्यंत जोखिमपूर्ण बना सकते हैं।
2. जलयान संचलन से जोखिम जुड़े जोखिम :
समुद्री पायलटों को संकीर्ण जलमार्गों, उथले पानी, और अन्य नेविगेशनल खतरों को सुरक्षित रूप से पार करना पड़ता है। नेविगेशनल त्रुटियां गंभीर दुर्घटनाओं का कारण बन सकती हैं जिनसे जलयानों तथा कभी-कभीर कर्मियों को भी हानि हो सकती है।
3. कार्य के लंबे घंटे :
समुद्री पायलटों को अक्सर लंबे समय तक काम करना पड़ता है, जिससे शारीरिक और मानसिक थकान हो सकती है। यह थकान एक पायलट की निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करती है और किसी विपरीत परिस्थिति में दुर्घटनाओं के जोखिम को बढ़ा सकती है।
4. जलयान पर चढ़ने और उतरने (बोर्डिंग और डिबोर्डिंग) के दौरान जोखिम :
समुद्री पायलटों को जहाज पर चढ़ने और उतरने के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतनी पड़ती है। खराब मौसम, लहरों और जलयान की तेज गति के कारण बोर्डिंग और डिबोर्डिंग के दौरान दुर्घटना का खतरा बना रहता है।
पायलट को बीच समुद्र में जहाज पर चढ़ना या उतरना पड़ता है जो कि आसान काम नहीं है। पायलट नाव की मदद से जहाज पर चढ़ता है। एक नाव को जहाज के समानांतर लाना पड़ता है जिसमें जहाज की गति और नाव की गति समान होनी चाहिए। फिर पायलट सीढ़ी (यह रस्सी की सीढ़ी होती है और जहाज के एक तरफ से नीचे लटका दी जाती है) की मदद से पायलट जहाज पर चढ़ता या उतरता है। यह एक बहुत ही खतरनाक काम है जिसे एक कुशल कर्मी ही कर सकता है क्योंकि जहाज और नाव, दोनों ही चल रहे होते हैं।
5. स्वास्थ्य संबंधी जोखिम:
समुद्री पायलटों को लंबे समय तक समुद्र में रहने के कारण स्वास्थ्य समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है, जैसे कि समुद्री बीमारी, स्थाई थकान, और मानसिक तनाव।
6. जहाज के संचलन में तकनीकी समस्याएं:
कभी-कभी जहाज के उपकरण या तकनीकी प्रणाली में खराबी आ सकती है, जो समुद्री पायलट के लिए एक बड़ा जोखिम हो सकता है। इन समस्याओं को जल्दी और प्रभावी ढंग से हल करना आवश्यक होता है अन्यथा जान-माल की हानि होने की संभावना रहती है।
7. पर्यावरणीय जोखिम:
समुद्री पायलटों को पर्यावरणीय खतरों, जैसे कि तेल रिसाव, जहास से कचरा फैलाव और समुद्री जीव-जंतुओ के संपर्क में आना पड़ सकता है जिनके लिए मानक प्रतिक्रियाएँ होने के बाद भी परिस्थिति के अनुसार तत्काल निर्णय लेना पड़ता है और उनमें खतरे की संभावना बढ़ जाती है।
8. सामाजिक और मनोवैज्ञानिक जोखिम:
समुद्री पायलटों को अक्सर अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है, जिससे अकेलापन और मानसिक तनाव हो सकता है। इसके अलावा, उनके कार्य की जिम्मेदारियों और जोखिमों के कारण उनमें उच्च्य स्तर का तनाव बना रह सकता है।
इसलिए, समुद्री पायलटों के लिए यह आवश्यक है कि वे इन जोखिमों को पहचानें और उनसे निपटने के लिए उचित सावधानियाँ और सुरक्षा उपाय अपनाएं। इसके साथ ही, नियमित प्रशिक्षण और अभ्यास भी इन जोखिमों को कम करने में सहायक हो सकते हैं।

भारत के विभिन्न प्रदेशों के बीच हिन्दी, प्रचार के द्वारा एकता स्थापित करने वाला भारत का सच्चा बंधु है - महर्षि अरविंद

अभियांत्रिकी का चमत्कार : नया डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर कन्वेंशन सेंटर

श्री वी. रविन्द्र रेड्डी
मुख्य अभियंता
अभियांत्रिकी विभाग

क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान देने वाली कई महत्वपूर्ण सिविल परियोजनाओं को क्रियान्वित करने का दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण का गौरवशाली इतिहास है। बुनियादी ढांचे को बढ़ाने से लेकर हरित पहलों को आगे बढ़ाने तक, प्राधिकरण ने उत्कृष्टता और स्थिरता के लिए अपनी प्रतिबद्धता को कायम रखा है। इन उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक, कुछ समय पहले ही निर्मित गांधीधाम में डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर कन्वेंशन सेंटर है, जो आधुनिकता, समावेशिता और पर्यावरणीय जिम्मेदारी का प्रतीक है।

भारत के माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने दीनदयाल पत्तन की एक महत्वपूर्ण यात्रा के दौरान गांधीधम में डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर कन्वेंशन सेंटर का निर्माण करने के लिए मई 2017 में आधारशिला रखी, यह एक दूरदर्शी परियोजना है जिसका उद्देश्य गांधीधम के नागरिकों को सम्मेलनों तथा ऐसे आयोजनों के लिए अत्याधुनिक सुविधा प्रदान करना है। 38.00 करोड रुपए की लागत से क्रियान्वित यह महत्वाकांक्षी परियोजना सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए पत्तन की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। गोवा के इफेक्टिव आर्किटेक्ट सर्विस द्वारा डिज़ाइन किया गया यह कन्वेंशन सेन्टर 28,000 वर्ग मीटर के विशाल भूखंड पर स्थित है। इसे हरित भवन मानदंडो का पालन करने, ऊर्जा दक्षता और बेहतर वायुसंचा सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध किया गया है। इसकी संकल्पना प्राकृतिक प्रकाश और वायु परिसंचरण की सुविधा प्रदान करती है, जो इसके उपयोगकर्ताओं की सुविधा को बढ़ावा देता है।

मुख्य विशेषताएं और सुविधाएं :

1. हरित भवन अनुपालन :

कन्वेंशन सेंटर कड़े हरित भवन मानकों का पालन करता है, जिससे ऊर्जा दक्षता और पर्यावरणीय स्थिरत सुनिश्चित होती है।

2. क्षमता :

इस सुविधा में अंदर 1200 लोगों के बैठने की क्षमता है, तथा बाहर लोगों को स्थान देने की क्षमता है, जो इसे बड़े समारोहों के लिए आदर्श बनाती है।

3. बृहद्देशीय हॉल :

1000 वर्ग मीटर में फैला यह हॉल, आर्थिक रूप से वंचितों सहित समाज के सभी वर्गों को सम्मान और गौरव के साथ विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों और समारोहों की मेजबानी करने के लिए सुसज्जित सुविधा प्रदान करता है।

4. महत्वपूर्ण आगंतुकों और अतिथियों के लिए सुविधाएँ :

भुतल पर एक वीआईपी आरामकक्ष, एक सज्जागृह और छह अतिरिक्त आरामकक्ष हैं। दूसरी मंजिल पर दो सुसज्जित, वातानुकूलित सम्मलेन हॉल हैं, जिन तक पहुँचने के लिए दो लिक्ट भी हैं।

5. स्वागत कक्ष और कैफेटेरिया :

भूतल पर कैफेटेरिया के साथ स्वागत कक्ष यह सुनिश्चित करता है कि आगंतुक जलपान का आनंद ले सके।

पत्रिका में अभिव्यक्त विचारों से पोर्ट ट्रस्ट का सहमत होना अनिवार्य नहीं है। पत्रिका में उल्लिखित नियम आदि के मूल पाठ को ही प्राधिकृत माना जायेगा।

6. पार्किंग और सुरक्षा :

8000 वर्ग मीटर के पार्किंग क्षेत्र में 300 चार पहिया वाहन और सैकड़ो दो पहिया वाहन खड़े किए जा सकते हैं और यह सभी पर्याप्त सुरक्षा कर्मियों के साथ सुरक्षित परिसर के अंदर स्थित हैं।

7. वास्तुकला डिज़ाइन :

हॉल की अनूठी, पारदर्शी और दर्शनीय संरचना कई गतिविधियों का समर्थन करती है और पूरी तरह से वातानुकूलित है। ध्वनिक पैनल सभी कार्यक्रमों के लिए उत्कृष्ट ध्वनि गुणवत्ता सुनिश्चित करते हैं।

8. मनोरंजनात्मक स्थान :

बाहरी क्षेत्रों में 500 से अधिक लोगों के लिए बहुमुखी स्थान, अच्छी तरह से विकसित आंतरिक और बाह्य परिदृश्य और योग, मनोरंजक समारोहों और समारोहों के लिए उपयुक्त हरे लॉन शामिल हैं। जल प्रबंधन नीति पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण पर जोर देती है, जो आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाती है।

पूर्णता और प्रभाव :

यह परियोजना नवंबर 2021 में अपनी निर्धारित समय-सीमा के अंदर ही पूर्ण हो गई। डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर कन्वेंशन सेंटर अब आधुनिक वास्तुकला और टिकाऊ डिजाइन के प्रतीक के रूप में स्थापित है, जो गांधीधाम के लिए एक महत्वपूर्ण सामुदायिक स्थान प्रदान करता है। दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण में सिविल अभियांत्रिकी विभाग के समर्पित प्रयासों के बिना यह उल्लेखनीय उपलब्धि संभव नहीं होती। नियोजन, संकल्पना और निष्पादन में उत्कृष्टता प्राप्त करने के अभियांत्रिकी विभाग के अथक प्रयासों ने इस परियोजना को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अभियांत्रिकी विभाग ने एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए कई चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया है जो कार्यात्मक और पर्यावरणीय दोनों रूपों से जागरूक है। जटिल परियोजनाओं के प्रबंधन, हरित भवन मानदंडो के अनुपालन को सुनिश्चित करने और गुणवत्ता के उच्च मानकों को बनाए रखने में उनकी विशेषज्ञता ने भविष्य के प्रयासों के लिए एक प्रतिमान स्थापित किया है। इस उल्लेखनीय बुनियादी ढांचे का श्रेय सिविल विभाग की मेरी पूरी सबंधित टीम को जाता है, जिनके सामूहिम प्रयासों ने गांधीधाम के जन समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।

डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर कन्वेंशन सेंटर का निर्माण पूरा होना दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारी परियोजनाएं समुदाय की वर्तमान और भविष्य की जरूरतों को पूरा करती हैं, यह सेंटर आधुनिकता को निरंतरता के साथ मिलाने के हमारे अनवरत प्रयासों को दर्शाता है। हम सिविल कार्यों में उत्कृष्टता के अपने मिशन को जारी रखने और अपने क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक उत्थान में योगदान देने के लिए तत्पर हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि सिविल अभियांत्रिकी विभाग ऐसी पहलों को आगे बढ़ाता रहेगा, जिससे दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण के बुनियादी ढांचे के विकास में उत्कृष्टता और नवाचार के लिए की प्रतिबद्धता को मजबूती मिलेगी।

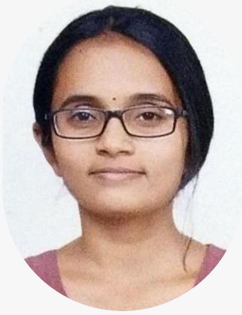

गवर्नमेंट ई– मार्केटप्लेस (GeM)

जिनल सोलंकी
स्नातक प्रशिक्षु
भंडार प्रभाग

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल :

यह एक क्रांतिकारी ई-खरीद मंच है जो भारत में सार्वजनिक खरीद को अधिक कुशल, पारदर्शी ओर समावेशी बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाता है। GeM विभिन्न सरकारी विभागों/संगठनों/पीएसयू द्वारा आवश्यक सामान्य उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद की सुविधा प्रदान करता है। यह पोर्टल का स्वामित्व और प्रबंधन GeM SPV द्वारा किया जाता है जो एक धारा 8 (गैरलाभकारी) कंपनी, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत है।

GeM का कार्यान्वयन :

माननीय प्रधान मंत्रीजी ने सचिवों के समूह की सिफारिशों के आधार पर सरकारी संगठनों/विभागों/पीएसयू द्वारा खरीदी गई विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक समर्पित ई-बाजार स्थापित करने का निर्णय लिया। इसका उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और बिक्री के लिए DGS&D (आपत्ति एवं निपटान महानिर्देशालय) को एक डिजिटल ईकोमर्स पोर्टल में बदलना था।

ऑनलाइन खरीद पोर्टल :

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल भारत में सार्वजनिक खरीद के लिए के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है। इसे अगस्त 2016 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा सरकारी खरीदारों के लिए खोला और पारदर्शी खरीद मंच बनाने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। पांच महीने के रिकॉर्ड समय में बनाया गया गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (GeM), विभिन्न सरकारी विभागों आवश्यक सामान्य उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद की सुविधा प्रदान करता है। GeM सरकारी उपयोगकर्ताओं को उनके पैसे का सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करने के लिए ईबोली, रिवर्स ई-नीलामी और मांग एकत्रीकरण के उपकरण प्रदान करता है।

एक संपूर्ण ऑनलाइन खरीद पोर्टल है, न कि निविदा (Tender), प्रकाशन पोर्टल। GeM में विस्तृत GTC उत्पाद/सेवा STC विशिष्ट और पोर्टल में एक समृद्ध लाइब्रेरी अंतर्निहित है जिसका उपयोग व्यापक बोली (Bid) दस्तावेज बनाने के लिए किया जा सकता है। उपलब्ध नियमों और शर्तों के आधार पर, किसी भी GeM बीड के साथ कोई अतिरिक्त शर्त जोड़ने की शायद ही कोई आवश्यकता है। हालांकि, कुछ ऐसे खण्डों को शामिल करने का प्रावधान अनुरोध प्रबंधन प्रणाली (RMS) में उपलब्ध है। ऐसा प्रत्येक अनुरोध उचित अनुमोदन के बाद ही किया जाना चाहिए, क्रेता संगठन में सक्षम प्राधिकारी यह पुष्टि करता है कि अनुरोध सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से किया गया है। क्रेता संगठन इसके प्रभाव के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होगा। धाराएँ जो पहले से ही GeM पर उपलब्ध मानक ATC लाइब्रेरी में शामिल है, उसे RMC के माध्यम से अनुमति नहीं दी जाएगी।

‘भारतीय भाषाएँ नदियां हैं और हिंदी महानदी।’ – रवीन्द्रनाथ ठाकुर

सामान्य वित्तीय नियम :

2017 में एक नया नियम संख्या 149 जोड़कर वित्त मंत्रालय द्वारा सरकारी उपयोगकर्ताओं द्वारा के GeM माध्यम से खरीदारी को अधिकृत और अनिवार्य कर दिया गया।

जी.एफ.आर.149 : यह सामान्य वित्तीय नियम को संदर्भित करता है, जो गवर्नमेंट-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल पर लागू होते हैं। जी.एफ.आर. 149 GeM के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के नियमों ओर प्रक्रियाओं से संबंधित है।

- GeM सरकारी खरीद का आधिकारिक मंच है।
- जी.एफ.आर.149 GeM के माध्यम से खरीद के नियमों की रूपरेखा बताता है।
- नियम सभी सरकारी मंत्रालयों, विभागों और एजेंसियों पर लागू होते हैं।
- GeM एक पारदर्शी और कुशल खरीद प्रक्रिया प्रदान करता है।
- जी.एफ.आर. 149 सरकारी खरीद नियों का अनुपालन सुनिश्चित करता है।

GeM में उत्पाद एवं सेवाएं :

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है, जिनमें शामिल हैं:

- 11,887 से अधिक उत्पाद श्रेणियां
- परिवहन सेवाओं को किराए पर लेना
- 323 से अधिक सेवा श्रेणियां
- कस्टम बोलियों (Bid) के माध्यम से विशिष्ट उत्पाद और सेवाएँ

GeM पर खरीदी गई कुछ शीर्ष सेवाओं में आंतरिक कार्य, आई.टी. कन्स्ल्टींग, लेखांकन और लेखा परीक्षा, अन्य शामिल हैं।

प्राथमिक उपयोगकर्ता:

भारत सरकार के उप सचिव या समकक्ष स्तर पर केन्द्र / राज्य सरकार / पीएसयू / स्वायत निकाय / स्थानीय निकाय / संवैधानिक निकाय / वैधानिक निकाय फे कोई भी अधिकारी और उपकेन्द्र /ईकाई/शाखा के कार्यालय प्रमुख अपने संगठन/ईकाई को प्राथमिक उपयोगकर्ता के रूप GeM में पोर्टल पर पंजीकृत कर सकते हैं।

प्राथमिक उपयोगकर्ता संगठन को GeM पर पंजीकृत करने, द्वितीयक उपयोगकर्ता के लिए उपयोगकर्ता खाते बनाने, उन्हें GeM पर भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ सौंपने और उसके अधीन द्वितीयक उपयोगकर्ताओं द्वारा किए गए सभी लेनदेन की निगरानी के लिए जिम्मेदार होता है।

प्राथमिक उपयोगकर्ता अपने संगठन के संबंध में सामान्य वित्तीफ नियमों और/या सार्वजनिक खरीद को नियंत्रित करने वाले नियमों, सभी GeM नियमों और शर्तों और सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित अन्य खरीद नीतियों/दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भी परोक्ष रूप से जिम्मेदार होते है। प्राथमिक उपयोगकर्ता GeM पोर्टल पर कोई भी खरीद संबंधी लेनदेन नहीं कर सकता है।

द्वितीय उपयोगकर्ता:

द्वितीय उपयोगकर्ता GeM पर खरीद लेनदेन के लिए जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिसमें अनुबंधेाो की नियुक्ति, स्टोर की रसीद और विक्रेताओं को भुगतान आदि शामिल हैं। पंजीकृत द्वितीयक उपयोगकर्ताओं के लिए अनुमत पहुंच अधिकार विभाग के प्राथमिक उपयोगकर्ता द्वारा तय किए जाते हैं। द्वितीयक उपयोगकर्ताओं को क्रेता/परेषिती/आहरण और संवितरण कार्यालय

(डीडीओ) /भुगतान प्राधिकारी/मांगकर्ता/तकनीकी की भूमिकाएँ दी जाती है।

GeM पोर्टल में विक्रेताओं की जिम्मेदारियाँः

GeM पर पंजीकरण करना और प्रोफ़ाइल बनाना। सटीक उत्पाद और सेवा पेशकशों को अद्यतन करना और बनाए रखना। बोलियों और कोटेशनों का जवाब देना। प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण और छूट प्रदान करना। उत्पादों और सेवाओं की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करना। गुणवत्ता मानकों को बनाए रखना। GeM नियम और शर्तों का अनुपालन करना। ओर्डर की स्थिति और टैकिंग जानकारी अपडेट करना। खरीदार के प्रश्नों और चिंताओं का समाधान करना। GeM की आचार संहिता और नैतिकता का पालन करना। सटीक और अद्यतन दस्तावेज़ीकरण बनाए रखना।

इन जिम्मेदारियों को पूरा करके, विक्रेता GeM पोर्टल पर सुचारू और सफल लेनदेन सुनिश्चित कर सकते हैं।

12 फरवरी, 2024 तक GeM देश भर में 20 लाख से अधिक विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं को 3 लाख से अधिकर सरकारी खरीदारों (प्राथमिक और द्वितीयक खरीदारों) के साथ सीधे जोड़ता है।

दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण में GeM :

वर्तमान में दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण में कुल 09 खाता कार्यरत है जिसकी सूचि निम्न अनुसार है।

1. श्री दिलीप शहानी DD (EDP) (इंचाज) - HOD खाता
2. श्री ए. रामास्वामी, मुख्य संचालन प्रबंधक - उप खाता
3. श्री राजेश रोत, उप सामग्री प्रबंधक - उप खाता
4. डॉ. महेश बापट, मुख्य चिकित्सक अधिकारी - उप खाता
5. श्री मनोज गोहिल, अधिशासी अभियंता (मार्ग), सिविल अभियांत्रिक विभाग, उप खाता
6. श्री महेश माखीजानी, अधिशासी अभियंता बंदरगाह, उप खाता
7. श्री दीक्षा राजपुरोहित, सहायक यातायात प्रबंधक, उप खाता
8. श्री भावेश गढ़वी, सुरक्षा अधिकारी, उप खाता
9. श्री सुनिल मेनन, मुख्य सतर्कता अधिकारी के निजी सहायक, उप खाता

वर्ष 2018 से दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण में GeM द्वारा साधन सामग्री की खरीदारी प्रारंभ हुई जिसका आज तक का विवरण निम्न प्रकार से हैः

वर्ष	माल-सामग्री (करोडो में)	सेवाएं (करोडो में)
2020-21	1.05	-
2021-22	3.88	0.88
2022-23	4.60	-
2023-24	5.71	10.78

GeM द्वारा खरीदकार्य में नवाचार, पारदर्शिता और लागत बचत को बढ़ावा मिल रहा है इसके अलावा GeM का लक्ष्य ''मेक इन इंडिया'' पहल को बढ़ावा देना है, ऐसा देखा गया है की दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण GeM के माध्यम से प्रतिवर्ष खरीदारी में बढ़ोतरी कर रहा है।

चंद्रयान

श्री कमल आसनानी
उपाध्यक्ष के निजी सचिव

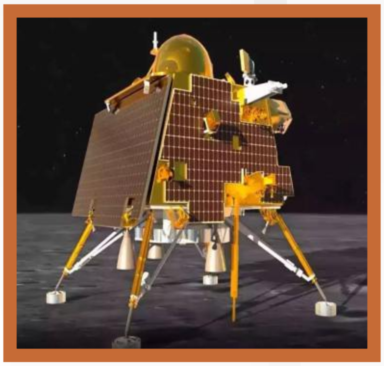

आया था ख्याल इक अरसा पहले मन में, क्यों रहता है तू हम से इतना दूर गगन में,
तेरा पता नहीं लेकिन हम तो कब से पाले बैठे थे आस, तुझे पाने कि अपने मन में,
इल्म था कि है राह मुश्किल बहुत और बाधाएं भी आएँगी अनेक सफर में,
लेकिन ठान लिया था उतारेंगे 'चंद्रयान', 'ए चाँद' हम भी किसी रोज़ तेरे आँगन में,
नींद उड़ गई थी नैनों से, मेरी रातें सिर्फ तुझे तकते-तकते ही व्यतीत हुई थी।
पता ही न चला कब दिल ने करवट बदली और कब तुझसे प्रीत हुई थी,
हुई कोशिश नाकाम पहले तुझे पाने की और आंसू छलक पड़े थे इन आँखों से,
किसी ने पीठ थपथपाकर लगा दिया सीने से, बस उसी हार की जीत हुई थी।
अथक परिश्रम, अनगिनित जगरातों के बाद मिला राष्ट्र को ये माहताब है,
लम्बे इंतज़ार के बाद ही सही, लेकिन मिली जो सौगात वो तो लाजवाब है,
याद है सबको वो दृश्य जब तुमने हार कर भी दिल जीते थे 2019 वाले अभियान में,
न सिर्फ इस दिलकश जीत पर, लेकिन देश को तुम्हारी उस हार पर भी नाज़ है।

सलाम टीम ISRO

''दक्षिण ध्रुव'', जहाँ पड़े न थे किसी के कदम, वहां जाकर तुमने तिरंगा फहराया है,
हम उलझे रहे जात-जात के फेरे में और तुमने इस जहाँ को उस जहाँ से मिलाया है,
वो कर दिखलाया टीम ISRO ने, सोचा भी न था जो हमने कभी अपने ख्वाबों में,
दर्ज़ हो गई अनंतकाल तक दास्ताँ तुम्हारी, किस्सों, कहानियों और किताबों में ।
उतरा चंद्रयान चाँद पर, तो एक साथ देश में दीवाली, क्रिसमस और ईद हुई है।
कल हुई थी हार की जीत, अब जीत ही जीत हुई है, जीत ही जीत हुई है।

वर्तमान भारतीय शिक्षा प्रणाली की समस्याएँ

श्री भावेश बचवानी
सुपुत्र श्री हरीश बचवानी
वित्त विभाग

हाल के दशकों में देश के आर्थिक, सामाजिक व अन्य क्षेत्रों में ढाँचागत एवं नीतिगत स्तर पर काफी प्रगति हुई है। फलस्वरुप देश की विकास दर तेज़ी से बढ़ी है। इस बढ़ती विकास दर ने अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ शिक्षा के क्षेत्र में सुधारों को गति प्रदान की है, लेकिन इन परिवर्तनों ने हमारी शिक्षा व्यवस्था की मूल समस्याओं को दूर नहीं किया है। प्रस्तुत लेख में हम वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की विश्व में स्थिति, विद्यमान समस्याओं एवं संभवित समाधानों की चर्चा करेंगे।

हाल के वैश्विक अध्ययन :

न्यूयॉर्क के पी.ई.यू. अनुसंधान केन्द्र (Pew Research Center) द्वारा विश्व के 90 के अधिक देशों में स्कूली शिक्षा मानकों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। यह अध्ययन 'विश्व में धर्म एवं शिक्षा' नाम से किया गया। यह दुनिया के प्रमुख धर्मों के बीच 'शैक्षिक प्राप्ति' (Educational Attainment) पर केन्द्रित है। इसमें हिंदुओं में 'शैक्षिक प्राप्ति' का स्तर सबसे कम पाया गया और भारतीय विद्यालयी शैक्षणिक व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे निम्न स्थान प्रदान किया गया। दूसरी तरफ औसत स्कूली वर्ष (years of schooling) के संदर्भ में देखा जाए तो ईसाई धर्म में 9.3 वर्ष, बौद्ध धर्म में 7.9 वर्ष है, जबकि मुस्लिम एवं हिंदु धर्म में औसत स्कूली वर्ष 5.6 वर्ष है, जोकि वैश्विक औसत 7.7 वर्ष से काफी कम है।

इसी प्रकार का अध्ययन हार्वर्ड विश्वविद्यालय और कोरिया विश्वविद्यालय के आर.जे. बैरो(R.J. Barrow) द्वारा वर्ष 2011 में किया गया था और उसनें भी लगभग इसी कार का निष्कर्ष निकला था।

पीसा (PISA), जोकि युरोप में अपनाया जाने वाला माप मानक (Measurement Standards) है, ने भारतीय स्कूलों की गुणवत्ता का अध्ययन किया। इसके द्वारा किये गए 110 देशों के अध्ययन में भारत को नीचे से दूसरी रैंक प्रदान की गई, जो भारतीय शिक्षा की निराशाजनक स्थिति को दर्शाता है।

प्रथम एन.जी.ओ. की वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (Annual Status of Education Report) के द्वारा वर्ष 2014 में किये गए मूल्यांकन में क्लास-।।। के सभी बच्चों का 75 प्रतिशत, कक्षा-V का 50 प्रतिशत और कक्षा आठवीं के 25 प्रतिशत बच्चे कक्षा - ।। की पुस्तक पढ़ने में असमर्थ पाए गए। यह भी पाया गया कि सरकारी स्कूलों में कक्षा-V के सभी बच्चों में पढ़ने के स्तर में वर्ष 2010 से वर्ष 2012 के बीच गिरावट देखी गई।

वर्ष 2015 के 'राष्ट्रीय सर्वेक्षण नमूना' (National Survey Sample) के परिणामों में भी माध्यमिक विद्यालयों के बच्चों में गणित, विज्ञान और अंग्रेजी को सीखने की क्षमता में भारी गिरावट दर्ज की गई।

दिल्ली में हुए एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि शहर के केवल 54 प्रतिशत बच्चे ही कुछ वाक्य पढ़ सकते है।

सकारात्मक पक्षः

अनेक अध्ययनों से यह साबित हो चुका है कि विश्व में सीखने की दृष्टि से भारतीय बच्चे किसी अन्य देश से आगे हैं। उदाहरणस्वरूप अमेरिका में भारतीय अमेरिकी सबसे ज़्यादा शिक्षित समुदायों में से एक हैं।

मुख्य समस्या शासन की गुणवत्ता (Abysmal Quality of Governance) में कमी मानी गई है। शिक्षा प्रणाली 'समावेशी' नहीं है।

हिन्दी केवल राजभाषा नहीं, विश्व-भाषा बन रही है - राजीव गांधी।

शिक्षक प्रबंधन, शिक्षक की शिक्षा और प्रशिक्षण, स्कूल प्रशासन और प्रबंधन के स्तर पर कमी। पाठ्यक्रमों में व्यावहारिकता की कमी।

स्कूल स्तर के आँकडो़ की अविश्वनीयता।
आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिये किये गए प्रावधानों को लागू न किया जाना।
शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE) को जमीनी स्तर पर लागू न किया जाना इत्यादि।
अवसंचरना का अभाव।
शिक्षा संस्थानों की खराब वैश्विक रैंकिंग।
प्रदान की गई शिक्षा और उद्योग के लिए आवश्यक शिक्षा के बीच अंतर।
महंगी उच्च शिक्षा।
समाधान
शिक्षा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना।
शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
सरकारी खर्च को बढ़ाना।
समावेशी शिक्षा प्रणाली पर ज़ोर देना।
गुणवत्ता की शिक्षा को बढ़ावा देना।
शिक्षा क्षेत्र में ढाँचागत विकास हेतु 'पीपीपी मॉडल' को अपनाना।
समावेशी शिक्षा नीति का निर्माण करना।

सरकार द्वारा उठाये जा रहे कदम :-

सरकार द्वारा शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने हेतु टी.आर. सुब्रह्मण्यम समिति का गठन किया गया था। समिति ने शिक्षा क्षेत्र के लिए एक नया सिविल सर्विस कैडर बनाने, युनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन (UGC) का उन्मूलन, कक्षा-V तक निरोधक नीनि (no-detention policy) जारी रखना और प्राथमिक विद्यालय स्तर पर अंग्रेजी की शिक्षा देने जैसे अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिये थे। इस समिति के प्रावधानों को सरकार द्वारा अभी तक लागू नहीं किया गया है।

सरकार ने हाल ही में भारतीय शिक्षा नीति को तैयार करने के लिए 'के. कस्तूरीरंगन समिति (K. Kasturirangan) का गठन किया। इस समिति का प्रमुख कार्य भारतीय शिक्षा व्यवस्था को समकालीन बनाने, उसकी गुणवत्ता में सुधार करने, शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय तथा विदेशी विश्वविद्यालयों के भारत में प्रवेश जैसे कई महत्वपूर्ण प्रावधानों पर रोडमैप तैयार करना है।

निष्कर्ष :

बच्चों के भविष्य को सही राह दिखाने एवं देश में समावेशी विकास को बढ़ावा देने हेतु यह आवश्यक है कि शिक्षा व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त किया जाए। अतः हमें अन्य सुधारों के साथ-साथ उचित प्रशासन मानकों, सरकार द्वारा पर्याप्त प्रोत्साहन और चैक और बैलेंस की नीति अपनाने की जरूरत है।

कार्यालयों में राजभाषा हिंदी का महत्व और विकास

श्रीमती संगीता खिलवानी
वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक
हिन्दी प्रकोष्ठ

हिंदी भारत के सबसे बड़े भूभाग में बोली जाती है। यह भाषा भारतीय संस्कृति की संवाहक और उसकी आत्मा है। यह न केवल संप्रेषण का माध्यम है, बल्कि भारतीय समाज की जड़ो से भी गहराई से जुड़ी हुई है। भारतीय समाज की विविधता, सहिष्णुता और एकता को अभिव्यक्ति करने में हिंदी का महत्वपूर्ण योगदान है। यह भाषा 'वसुधैव कुटुम्बकम' की भावना को दर्शाती है, जिसका अर्थ है कि पूरा विश्व एक परिवार है। हिंदी भाषा का विकास और उसका महत्व समय के साथ बढ़ता गया है और आज वह एक वैश्विक भाषा के रूप में उभर रही है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि :

हिंदी का इतिहास बहुत पुराना है और इसे विभिन्न कालखंडों में विभाजित किया जा सकता है। वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल तक हिंदी ने कई परिवर्तन देखे हैं। वैदिक काल में संस्कृत भाषा की प्रमुखता थी, लेकिन प्राचीन भारत में अपभ्रंश और प्राकृत भाषाओं ने हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मध्यकाल में हिंदी ने अवधी, ब्रज और अन्य बोलियों के माध्यम से साहित्य और काव्य के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई।

आधुनिक हिंदी का विकास :

स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी ने राष्ट्रीयता की भावना को उभारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, डॉ. भीमराव अंबेडकर, रवीन्द्रनाथ टैगोर और कई अन्य नेताओं ने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया और इसे एकता का प्रतीक माना। स्वतंत्रता के पश्चात इसे संघ सरकार की राजभाषा का दर्जा मिला। संविधान ने हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा घोषित किया और इसे विभिन्न माध्यमों से प्रचारित करने के लिए योजनाएं बनाई गई।

हिंदी साहित्य का योगदान :

स्वतंत्रता के पश्चात हिंदी साहित्य ने विभिन्न विधाओं में अपनी पहचान बनाई। उपन्यास, कहानी, नाटक, कविता आदि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान हुआ। प्रेमचंद, निराला, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, मोहन राकेश, फणीश्वरनाथ रेणु जैसे साहित्यकारों ने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। हिंदी साहित्य में प्रगतिशील आंदोलन और नई कविता के दौर ने नए विचार और दृष्टिकोण को प्रकट किया।

शिक्षा में हिंदी का महत्व :

शिक्षा के क्षेत्र में हिंदी का महत्व अत्यधिक है। प्रारंभिक शिक्षा के लेकर उच्च शिक्षा तक हिंदी का उपयोग किया जाता है। हिंदी माध्यम के विद्यालयों में बच्चों को न केवल भाषा का ज्ञान मिलता है, बल्कि वे अपनी संस्कृति और परंपराओं से भी जुड़े

रहते हैं। उच्च शिक्षा में भी हिंदी माध्यम के कई प्रतिष्ठित संस्थान हैं जहां विज्ञान, कला, वाणिज्य और तकनीकी विषयों की शिक्षा दी जाती है। हिंदी में शोध कार्य और पीएचडी के लिए भी पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है, जो विद्यार्थियों को अनुसंधान के क्षेत्र में प्रोत्साहित करती है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हिंदी :

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी हिंदी ने अपनी पहचान बनाई है। विज्ञान और तकनीकी विषयों के पाठ्यक्रमों को हिंदी में अनुवादित किया जा रहा है ताकि विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में ही शिक्षा प्राप्त कर सकें। इसके लिए हिंदी में तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दावली तैयार की गई है, जिससे जटिल विषयों को समझना आसमन हुआ है। विभिन्न वैज्ञानिक शोध पत्रिकाओं और पुस्तकों का हिंदी में प्रकाशन भी किया जा रहा है। हिंदी कंप्यूटिंग और सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भी हिंदी को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे यह भाषा तकनीकी क्षेत्र में भी अपना स्थान बना रही है।

कार्यालयों में राजभाषा के रूप में हिंदी का उपयोग :

सरकारी कार्यालयों में हिंदी के राजभाषा के रूप में उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई नीतियाँ और योजनाएँ बनाई गई हैं। सरकारी प्रतिष्ठानों में हिंदी का उपयोग न केवल आवश्यक है, बल्कि यह कार्यकुशलता और पारदर्शिता को भी बढ़ावा देता है। कार्यालयों में हिंदी के उपयोग के लाभ इस प्रकार है:

1. संचार में सुधार :

हिंदी में काम करने से संचार की गुणवत्ता में सुधार होता है, क्योंकि अधिकांश कर्मचारी हिंदी समझते और बोलते हैं। यह सभी कर्मचारियों के बीच बेहतर समन्वय और समझ को प्रोत्साहित करता है।

2. दस्तावेजों की सुलभता :

सरकारी दस्तावेज, नियमावली और अधिसूचनाओं का हिंदी में अनुवाद और वितरण उन्हें अधिक सुलभ बनाता है। इससे सभी कर्मचारी ओर अधिकारी आवश्यक जानकारी को आसानी से समझ सकते हैं।

3. कार्यकुशलता में वृद्धि :

हिंदी में काम करने से काम की गति और गुणवत्ता में वृद्धि होती है, क्योंकि कर्मचारी अपनी मातृभाषा में अधिक सहज होते हैं। इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया भी तेज होती है।

4. प्रशासनिक पारदर्शिता :

हिंदी के उपयोग से प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता आती है। इससे सभी कर्मचारियों को नियमों और प्रक्रियाओं की स्पष्ट जानकारी मिलती है, जिससे भ्रष्टाचार की संभावनाएं कम होती हैं।

5. कर्मचारियों का समावेश :

हिंदी में प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित करने से कर्मचारियों की कौशल और क्षमता में सुधार होता है। इससे वे अपने काम को बेहतर ढंग से कर सकते हैं और संगठन के विकास में योगदान दे सकते हैं।

हिंदी भाषा का महत्व का विकास भारतीय समाज और संस्कृति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह भाषा न केवल हमारी जड़ों से जुड़ी हुई है, बल्कि यह एकता, संप्रेषण और पारदर्शिता को भी बढ़ावा देती है। कार्यालयों में हिंदी का उपयोग न केवल नियमानुसार आवश्यक है, बल्कि यह कार्यकुशलता को भी प्रोत्साहित करता है। हिंदी भाषा का भविष्य उज्जवल है और इसे बढ़ावा देने के लिए हमें सतत प्रयास करते रहना चाहिए।

राष्ट्र निर्माण में युवाओ की भूमिका

श्री करसन ए. धुआ
कार्यालय अधिक्षक,
अभियांत्रिकी विभाग

भारत में युवाओं की संख्या अन्य देशो से अधिक है। भारत की लगभग 65% प्रतिशत जनसंख्या की आयु 25 वर्ष से कम है। सरकार का पूरा ध्यान युवाओं के माध्यम से राष्ट्रीय विकास लाने पर केन्द्रित हे। युवा देश के विकास के लिए अपना सक्रिय योगदान प्रदान करे, केवल उसका एक हिस्स बनर रह जाए।

युवा राष्ट के किसी भी विकास की नींव रखता है। युवा एक व्यक्ति के जीवन में मंच है, जो सिखने की कई क्षमताओं और प्रदर्शन के साथ भरा हुआ है। युवाओं की शक्ति राष्ट्र का सर्वांगी विकास और भविष्य, वह रहनेवाले लोगो की शक्ति और क्षमता पर निर्भर करता है और इसमें प्रमुख योगदान उस राष्ट्र के युवाओं का है।

युवा लोग किसी देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। वे एक मूल्यवान संशोधन है जो किसी राष्ट्र निर्माण में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उन्नति में योगदान दे सकते है। राष्ट्र की सफलता का आधार उसके युवा पीढ़ी और उनकी उपलब्धियों पर होती है, युवा राष्ट्र निर्माण में सर्वोच्च भूमिका निभाते है, फिर भी राष्ट्र में युवाओं की बेरोजगारी की समस्या सबसे बड़ी राष्ट्रीय समस्या है। ये समस्या से निपटने के लिए देश को विकसित करने और प्रगति की और ले जाने की भी शक्ति युवाओं में होती है और वह देश में सामाजिक सुधार लाने के लिए भी जिम्मेदार होते है। देश के युवा ही देश का भविष्य तय कर सकते है।

उपरोक्त आधार पर यह युवा स्पष्ट होता है की युवा पीढ़ी का राष्ट्र के निर्माण में सर्वाधिक योगदान होता है, युवा ही राष्ट्र की आधारशिला है जिसके माध्यम से एक नए एवं मजबूत राष्ट्र का निर्माण किया जाता है, जो भविष्य की आंकाक्षाओ और भव्यता को परिलीक्षित कर सकता है। आज युवाओ को राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों को समझना होगा तब राष्ट मजबूत का एक परिचालक बन पाएगा।

।। जय हिन्द, जय भारत ।।

दुकान

श्री रोहित त्रिपाठी
हिंदी अधिकारी

हमारे छोटे से कस्बे में मेरे स्कूल से कुछ ही दूरी पर थी वह दुकान। दुकान तो वैसे एक जनरल स्टोर थी, लेकिन उसमें सबसे आगे की और कई बड़ी-बड़ी बरनियों में रंग-बिरंगी चॉकलेट और चूसने वाली गोलियॉ रखी होती थी जो दूर सड़क से ही नजर आ जाती थीं। और हम बच्चों को उन रंग बिरंगी गोलियों के अलावा दुकान में और किसी चीज से कोई मतलब नहीं होता था।

एक सिंधी बुजुर्ग उस दुकान को चलाते थे जिन्हें हम बच्चे काका कहकर बुलाते थे। क्योंकि वह दुकान सुबह 10 बजे के बाद खुलती थी, तो हम स्कूल से वापस जाते समय ही उन रंग बिरंगी, मुंह में पानी लाने वाली गोलियों को हसरत भरी नजरों में निहार पाते थे। उस समय तो पाकेट मनी का चलन नहीं था। कभी-कभार माँ लाड़ से जो चवन्नी या अठन्नी या कभी-कभार एकाध रुपया हाथ पर धर देती थी, वही हमारे लिए बड़ी पूँजी होती थी। जिस दिन भी मुठ्ठी में पैसे होते मैं बेसब्री से स्कूल खत्म होने का इंतजार करता और फिर दौड़ते हुए काका भी दुकान पर पहुंच जाता।

लोग कहते थे कि काका भारत के बँटवारे के समय हिंदुस्तान आए थे। वे उनकी पत्नी और इकलौता लड़का बस यही उनका परिवार था। लोग यह भी कहते थे कि बँटवारे के समय हुई मार-काट में उनका वह इकलौता बड़ी ही बेरहमी से उनकी आँखों के सामने मार डाला गया था।

जभ भी मैं काका से मिलता, तो मुझ पर खास मेहरबानी दिखाते। एक बार उन्होंने बताया कि उनके लड़के का नाम वही था। जो मेरा है। उनकी मेहरबानी के चलते वे मुझे अक्सर एकाध अच्छी सी चॉकलेट अलग से दे देते थे। मेरी टोली के दूसरे लड़के इससे जल भुन जाते थे पर काका से कुछ कह नहीं पाते थे।

स्कूल की पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद मैंने सेना में भर्ती होने की परीक्षा दी और उसमें मेरा चयन हो गया। ट्रेनिंग पूरी करने के लगभग पाँच साल बाद जब मैं अपने घर गया तो मेरे अंदर का बचपना फिर से जाग उठा। मैं काका के सामने अचानक पहुँचकर उन्हें चौंका देना चाहता था।

तेज कदमों से चलकर जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ उस दुकान की जगह केवल खंडहर और मलबा था। लोगों से पूछने पर पता चला कि नगर निगम ने उस हिस्से में बनी दुकानों को अवैध करार देकर गिरवा दिया। उन्हीं में काका की दुकान भी गिरा दी गई। दो बूढ़े प्राणियों की रोजी-रोटी इससे जाती रही। लोगों ने बताया कि इसकी जगह एक बड़ा काम्प्लेक्स बनने वाला है।

दुकान गिराए जाने के सदमे से काका भी पत्नी को दिल का दौरा पड़ा और वे चल बसीं। उनके न रहने से काका भी बावले से हो गए थे। कुछ समय बाद उन्होंने भी आत्महत्या कर ली।

उस जगह से बाद में भी मैं कई बार गुजरा हूँ पर ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं दिखता। पुरानी दुकानों की जगह बड़ा सा काम्प्लेक्स खड़ा हैं।

और स्कूल के बच्चे अब भी टोलियों में हँसते खिलखिलाते वहाँ से गुजरते हैं। सब कुछ वैसा ही है जैसा सालों पहले था। बस अब काका और उनकी वह मानभावन रंग-बिरंगी गोलियाँ की दुकान वहाँ नहीं है।

भारत में अंतरप्रांतीय व्यवहार के लिए समान भाषा का दर्जा हिन्दी को ही दिया जा सकता है - डॉ॰ भंडारकर।

झूठा दिखावा – हिंदुस्तान के भविष्य को खतरा

श्री नरेश बी. भावनानी
पतिः श्रीमती ज्योति एन. भावनानी
प्रधान लिपिक,
सामान्य प्रशासन विभाग

के.आर. हॉल खचाखच भरा हुआ था। आज शहर के सारे स्कूलों के बच्चों का मेरा हिंदुस्तान कार्यक्रम के तहत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया था। जिसमें किसी को नाटक, तो किसी को गायन, किसी भो भाषण की प्रतियोगिता हेतु नामांकित किया गया था। सभी बच्चों के मां बाप तथा शहर की जानी मानी हस्तियां वहां पहुंच चुकी थी। हॉल में देशभक्ति के गीत गूंज रहे थे। स्टेज को तिरंगे झंडो से सजाया गया था। दर्शकों के बिलकुल सामने कुछ देशभक्तों और शहीदों के फोटो लगाए गए थे तथा साइड की दीवारों पर देशभक्ति के स्लोगन लिखे गए थे। बस हरकोई इंतजार कर रहा था कार्यक्रम के शुरू होने का।

आखिर सबका इंतजार खत्म हुआ और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वहां के एम एल ए ने जैसे ही हॉल में प्रवेश किया, सभी ने तालियों के साथ उनका स्वागत किया। उनका शॉल से सम्मान कर के तुरंत ही कार्यक्रम चालू किया था। एक-एक कर के सारे स्कूल के बच्चे अपना देशभक्ति से परिपूर्ण प्रदर्शन देने लगे। कुछ समय के पश्चात स्टेज पर अचानक से पर्दे के पीछे शादी की धुन बजने लगी। स्टेज से धीरे-धीरे पर्दा ऊपर उठने लगा। पर्दा उठते ही बिलकुल सामने की ओर एक और स्टेज बनाया गया था जहां पर एक नव विवाहित दंपति खड़ा था। उस स्टेज से थोड़ा दूर कई प्रकार के स्टॉल लगे हुए थे। कहीं पर अलग-अलग रंगों के शरबत, ज्यूसिस और अन्य पेय पदार्थ दिख रहे थे, तो कहीं अलग-अलग तरह की चाट दिख रही थी, जिसमें साउथ इंडियन, चाइनीज, पंजाबी और भी न जाने कितनी तरह के व्यंजन रखे गए थे। उस के बाद खाने में इसी तरह के बहुत सारे स्टॉल लगाए गए थे। खाने के ऊपर कुछ मीठा खाने के हिसाब से भी भिन्न-भिन्न प्रकार की मिठाईयां और मिष्ठान रखे हुए थे। उसके बाद आइसक्रीम एवं गर्म दूध तथा कॉफी के स्टॉल थे और अंत में था पान और मुखवास का स्टॉल। लोग आते जा रहे थे और अलग-अलग स्टालों से उनकी पसंद के व्यंजन उठा रहे थे। जो पसंद आ रहा था वह खा रहे थे और जो पसंद नहीं आ रहा था वो कूड़ेदान में फेंकते जा रहे थे। फिर वे दूसरे स्टॉल पर जा रहे थे और वहां पर भी वे उसी तरह से कर रहे थे जैसा पहले वाले स्टालों पे वे कर चुके थे। कुछ बुजुर्ग लोग सीधा खाने के स्टॉल पर जा रहे थे और अपनी पसंद का जितना चाहिए उतना ही खाना थाली में उठा रहे थे। अंत में वे स्टेज पर जा रहे थे। अंत में वे स्टेज पर जा रहे थे लड़के लड़की को आशीर्वाद देने। इस तरह से करते करते धीरे-धीरे भीड़ कम होना चालू हुई और अंत में सिर्फ लड़के और लड़की के रिश्तेदार ही बच गए। सब लोगों ने मिलकर खाना खाया उसके बावजूद भी वहां पर बहुत सारा खाना बच गया। वहां पर लड़की वालों की तरफ से एक रिश्तेदार आया था जो कि एक लेखक था।, उससे आखिर रहा नहीं गया और उसने कहा,'आखिर इतना सारा खाना और इतनी सारी चीज़ें बनवाने की ज़रूरत क्या है? लोग खाना कितना व्यर्थ गंवाते हैं। जितना वो उठाते हैं उसका आधा भी नहीं खाते हैं, शेष तो सारा कूड़ेदान में ही फेंक देते हैं। यहां पर हमारे हिंदुस्तान में ऐसे कई घर हैं जिनके घरों में कई दिनों तक चूल्हा नहीं जलता है और यहां शादी के मौकों पर इतना खाना व्यर्थ जाता है। ज़रा सोचो किसान किस तरह से कड़ी धूप में, बारिश में और सर्दी में हर मौसम में कितनी मेहनत करके अनाज पैदा करता है पर उसकी मेहनत को लोग यूं ही झूठे दिखावे की खातिर बेकार गंवाते हैं। माना कि शादी ब्याह एक खुशी का मौका है पर इस तरह से किसी भी चीज़ का अपव्यय करना अच्छी बात नहीं है। लोग खा-खा कर आखिर कितना खायेंगे? जितना पेट है उतना ही खायेंये न, वो तो कम चीज़ों से भी भर सकता है, उसके लिए इतनी सारी चीज़ें बनवाने की क्या जरूरत है? इतनी चीजें बनवाकर हम क्या सिद्ध करना चाहते हैं कि हम किसी के कम नहीं हैं! क्यों हम

झूठे दिखावे की पीछे पड़े हैं? क्या हम अपने घरों में भी इतना खाना बनवाते हैं या इतने खाने को बाहर फैंकते हैं? ये सिर्फ इस शादी की बात नहीं हैं पर हर शादी में ऐसा होता है। जरा दाने-दाने के लिए मोहताज हो जाएंगे। क्या ये सब आपको मंजूर है?' वहां उपस्थित सारे लोगों के सिर नीचे हो गए। तब उसने फिर से सवाल किया। 'अब जो खाना बचा है उसका क्या करोगे? तो किसी ने कहा कि और क्या करेंगे। यहीं छोड़ जायेंगे या बाहर फैंक देंगे और क्या ?' तब किसी लेखक ने कहा,'ये दूसरी गलती जो हम लोग करते हैं। खाना फैंकने से तो अच्छा है किसी को दान किया जाए। यहां पर पास में कोई तो बस्ती होगी न जहां पर गरीब लोग रहते होंगे। जिनके घरों में आज रात का चूल्हा नहीं जला होगा और भूख के मारे उनके बच्चों को नींद नहीं आ रही होगी।''

इस पर किसी ने कहा,'हां, पास में ही है ऐसी एक बस्ती, जहां गरीब लोग रहते हैं' इस पर लेखक ने कहा,'तो चलो, मैं चलता हूं ऐसे नेक काम में आपका साथ देने के लिए। बचे हुए खाने को उठाने में मेरी मदद करो और ले चलो मुझे उन गरीबों की बस्ती में' इतना कहते हुए वह उठ खड़ा हुआ। उसके उठते ही दूसरे रिश्तेदार भी उठ खड़े हुए उसकी मदद करने के लिए। अपनी गाड़ी में खाना रखने के बाद वो लेखक चल पड़ा गरीबों की बस्ती को ओर जिनके बच्चों की जिंदगी में आ बड़े दिनों के बाद खुशियां आने वाली थी।

इसके साथ ही स्टेज पर धीरे-धीरे पर्दा नीचे गिरने लगा। हॉल में लगातार तालियां गूंज रही थीं। लोग उस नाटक में भाग लेने वाले सभी बच्चों को बधाईयां दे रहे थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं निर्णायक एम एल ए ने खुद स्टेज पर आकर पूरे जोश के साथ सभी बच्चों का स्वागत किया और उनके नाटक को प्रथम नंबर पर विजयी घोषित किया।

पेड़ हमारे सच्चे साथी

श्रीमती लता जे. दवे
वरिष्ठ लिपिक
अभियांत्रिकी विभाग

पेड़ हमें लगते है अच्छे,
ये है अपने साथी सच्चे,
जैसे हम भी रोते गाते,
वैसे ये भी हैं मुस्काते,
स्वच्छ हवा ये हमको देते,
गन्दी हवा स्वयं ले लेते।
ये हमको सब खाना देते,
वर्षा धूप से हमें बचाते।
आओ हम मिल पेड़ लगाएँ,
पर्यावरण को शुद्ध बनाएँ।

'राष्ट्रीय व्यवहार में हिंदी को काम में लाना देश की एकता और उन्नति के लिए आवश्यक है' - महात्मा गांधी

दानवी चक्रवात

श्रीमती आरती निहालानी
सहायक अभियंता
अभियांत्रिकी विभाग

बिपर्जोय ने ऐसी धूम मचाई,
मानव की सोच जहां पहुंच ही न पाई,
कहेता रहा अभी आया अभी आया
चार दिन की कहेके नौ दिन की नचाई।

तिनका तिनका करके घोंसला था बनाया
दानवी चक्रवात को एक आंख नहीं भाया
सालों से अडिग़ जो खड़े थे तरुवर,
टप टप करके पेड़ो के साथ घोंसला भी उड़ाया।

अथाह जो समुन्दर इतना था गहेरा
लगा दिया था उसपे भी अपना दानवी पहेरा
फ़ितरत ने उसकी सागर को अवसाद से गहेराया
उल्फ़त उसकी ये (सागर) समझ ही ना पाया।

सज़दा जो करते थे सागर को हरदम
मिट गए थे उनके भी सारे ही भरम
उन्माद था वो क्षणिक परायों के संग
आस्था मिटाई हुई थी दोस्ती भंग।

मन इंसा का कुछ सागर सरीखा
उन्मांद में अपना पराया न देखा
अवसाद से जब तर-बतर हो जाता
सागर-सा गुस्सा भी अपना दिखाता।

इंसा की औकात तो इतनी भी नहीं,
की सागर का रौद्र रूप दिखाता वही
जब करता कोई लक्ष्मण रेखा को पार
तभी फूटता उसका गुस्सा अपार।

बिखरा स्वपन

शुभी यादव
स्नातक प्रशिक्षक
सा.प्र.विभाग

काँच के टुकड़े जैसे टूटा वो स्वपन,
जैसे गिरा हो कोई घुंघरू पैजनियाँ से छन,
थी उम्मीद वैसी जैसे मिलती थी खुशी बचपन में कुछ चंद।
देता था खुशी झुनझुना जब बजता थ वो झन,
लगता थाा कि आसान है यहाँ पाना हर सफलता का रंग,
लेकिन गलत था मैं,
क्यूंकि होता यहाँ वही कार्य पूर्ण जो करो कुछ अलग ही ढंग।

हमारी संस्कृति को दर्शाता नवरात्रि का त्योहार

श्री प्रतिक एन. भावनानी
सुपुत्र ज्योति नरेश भावनानी,
सामान्य प्रशासन विभाग

दुर्गा मां का नवरात्रि का त्योहार अर्थात पवित्रता एवं शक्ति का त्योहार, खुशियों और हर्षोल्लास का त्योहार, असत्य पर सत्य की विजय का त्योहार। समस्त भारत वर्ष में नवरात्रि का त्योहार एक ऐसा त्योहार है, जिसका सभी लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। भारत में खास करके गुजरात, पश्चिम बंगाल एवं महाराष्ट्र में नवरात्रि का त्योहार अलग ही तरह से मनाया जाता है परंतु हर जगह पर नवरात्रि की नौ दिनों की शोभा बेहद की प्यारी एवं निराली होती है।

यूं तो नवरात्रि वर्ष में चार बार आती है, चैत्र, आषाढ़, अश्विन और माध माह के दौरान। परंतु वसंत ऋतु के दौरान आने वाली चैत्र नवरात्रि एवं शरद ऋतु के दौरान आने वाली अश्विन मास की शरद नवरात्रि अधिक लोकप्रिय हैं और इन दोनों में से अश्विन मास में आने वाली शरद नवरात्रि जो कि उज्वल चंद्र पखवाड़े के पहले दिन से लगातार नौ दिनों तक मनाई जाती है और जिसमें दुर्गा के नौ रूपों की पूजा की जाती है, वह नवरात्रि अधिक लोकप्रिय है। भारतीय संस्कृति में ये सबसे ज्यादा दिन मनाया जाने वाला लोकप्रिय त्योहार है।

पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर नामक एक दुष्ट शक्तिशाली राक्षस के उत्पात को खत्म करने हेतु भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी ने अपनी शक्तियों से मां दुर्गा की रचना की एवं उसको दस हाथ देकर सारी शक्तियां प्रदान की। मां दुर्गा ने नौ दिन तक लगातार महिषासुर का मुकाबला किया और आखिर दसवें दिन उसका वध किया। मां की ऐसी दिव्य शक्ति की आराधना करने हेतु नवरात्रि का त्योहार पूरे भारतवर्ष में बेहद ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। दसवें दिन पर असत्य पर सत्य की विजय के प्रतीक के रूप में दशहरा मनाया जाता।

एक दूसरी प्राचीन कथा के अनुसार श्री राम जी भगवान ने मां सीता जी को दुष्ट रावण के कैद से छुड़ाने हेतु लगातार नौ रातों तक मां दुर्गा की आराधना की थी जिस से खुश होकर मां दुर्गा ने उन्हें विजयी होने का वरदान दिया था। जिसके परिणामस्वरूप दसवें दिन पर श्रीराम जी ने रावण से युद्ध किया था और उसका वध करके सीता माता को उनके चुंगल से छुड़ाया था। इसी कारण प्राचीन काल से नवरात्रि की नौ रातों में मां दुर्गा के विभिन्न रूप जैसे कि शैलपुत्री रूप, ब्रह्मचरणी रूप, चंद्रघंटा रूप, कूष्माण्डा रूप, संकल माता, कात्यायनी रूप, कालरात्रि रूप, महागौरी रूप एवं सिद्धिदात्री रूप की आराधना की जाती है।

गुजरात की नवरात्रि तो बेहद ही मशहूर है। इसमें नौ के नौ दिन मां दुर्गा के मंदिर को खूब ही सजाया जाता है। नौ दिन ही मां को हर रोज़ नई साड़ियों एवं आभूषणों से सजाया जाता है। विधिपूर्वक कलश की स्थापना की जाती है। जिसमें स्वच्छ पानी, पान एवं आम के पत्ते, सुपारी, कुमकुम, नारियल, अनाज एवं सिक्के इत्यादि रखे जाते है। नौ दिन मां के आगे अखंड ज्योति जलाई जाती है। मां की रात को दो बार आरती की जाती है। गरबा एवं डांडिया खेला जाता है। शहर के सारे भक्त लोग जिनमें औरत, मर्द एवं बच्चे शामिल हैं वे हर रोज़ रात में अलग-अलग तरह के वेशभूषाएं पहनते हैं और नौ दिन विभिन्न प्रकार के गरबा और डांडिया के खेल मां के समक्ष खेलते है, विभन्न प्रतियोगिताएं रखी जाती हैं और इनाम भी बांटे जाते हैं। अष्टमी के दिन विधिपूर्वक हवन किया जाता है और नौवें दिन नवरात्रि का समापन करके वहां लाए गए सारे कलशी एवं पूजा सामग्री इत्यादि का विधिपूर्वक विसर्जन किया जाता है। सिक्कों को संभालकर रखा जाता है। नवें दिन रामजी की याद में रामनवमी मनाई जाती है और दसवें दिन असत्य पर सत्य की जीत के प्रतीक के रूप में पूरे भारत में दशहरे के त्योहार को बड़े

ही उत्साह के साथ मनाया जाता है।

इस के अलावा नवरात्रि के दौरान माता के मंदिर के दर्शन करने हेतु श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं, जिसमें कच्छ का आशापुरा माता का मंदिर बहुत ही लोकप्रिय है। यहां पर कितने भक्तजन पैदल तो कितने साइकल पर, दूर दूर से खास कर के महाराष्ट्र से, अपनी मनचाही मुराम पाने, अपनी मनचाही मुराद पाने, मां के दर्शन करने आते हैं। पूरे रास्ते भार में ऐसे भक्तजनों के लिए पानी, खाने, फल, नारियल पानी, अन्य शक्ति प्रदान करने वाले पेय पदार्थ एवं चिकित्सा संबंधी सारी सुविधाएं उपलब्ध की जाती हैं। कितने श्रद्धालु नौ दिन उपवास रखते हैं और नवें दिन नौ कन्याओं की पूजा कर, उन्हें भोजन करा के, उन्हें भेंट देकर अपना नवरात्रि का व्रत पूर्ण करते हैं।

कई जगहों पर अभी तक मनोरंजन हेतु एवं अपनी संस्कृति को प्रत्यक्ष रूप से दिखाने हेतु रामलीला के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें रामायण के सारे पात्र बनाए जाते हैं और उन्हें उसी तरह की वेशभूषा एवं आभूषण पहनाए जाते हैं, जिनका उल्लेख हमारी धार्मिक कथाओं में किया गया है।

पश्चिम बंगाल का नवरात्रि का त्योहार तो बहुत ही अनोखे एवं भव्य रूप में मनाया जाता है। इसमें मा दुर्गा के विभिन्न रूपों की विशाल एवं भव्य मूर्तियां बनाकर मां की आराधना की जाती है। गीत संगीत के प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं। सबसे विशेष बात यह है कि अलग-अलग लोगों को अलग-अलग तरह की मूर्ति का रूप दिया जाता है, जिसमें घंटो तक, बिना हिले डुले, बिना खाए पिए वे लोग यथावत खड़े रहते हैं। उनकी ऐसी अनोखी कला एवं क्षमता बेहद ही काबिले तारीफ है।

सचमुच, नवरात्रि का त्योहार एक ऐसा त्योहार है, जिसमें बजते ढोलों, संगीत एवं गीतों के सुरों पर स्वयं ही नाचने की और झूमने की इच्छा तो जाती है और घंटो गरबा खेलने के बाद भी तथा मीलों पैदल चलने के बावजूद भी पांवो में बिलकुल थकान महसूस नहीं होती। मां दुर्गा का यह त्योहार आता है और हम सभी में एक नया उत्साह भरकर और नई शक्ति का संचार करके फिर अगले वर्ष आने का वादा करके हमसे दूर चला जाता है। शक्ति तथा प्रेरणा से भरा मां दुर्गा का ये नवरात्रि का त्योहार हमारे हिंदु समाज की संस्कृति और सभ्यता का दर्पण है।

सचमुच उस समय मेरी आंखे भर आती हैं जब मेरे पास अंग्रेजी में पत्र आते हैं - महादेवी वर्मा।

पाप का फल भोगना ही पड़ता है

कु. अंजली एस. पनीकर
सुपुत्री : अनीता एस. पनीकर
भंडार प्रभाग, खलासी

मनुष्य को ऐसी शंका नहीं करनी चाहिये कि मेरा पाप तो कम था पर दण्ड अधिक भोगना पड़ा अथवा मैंने पाप तो किया नहीं पर दण्ड मुझे मिल गया! कारण कि यह सर्वज्ञ, सर्वसुहृद, सर्वसमर्थ भगवान का विधान है कि पाप से अधिक दण्ड कोई नहीं भोगता और जो दण्ड मिलता है, वह किसी न किसी पाप का ही फल होता है।

किसी गाँव में एक सज्जन रहते थे। उनके घरके सामने एक सुनार का घर था। सुनार के पास सोना आता रहता था और वह गढ़कर देता रहता था। ऐसे वह पैसे कमाता था। एक दिन उसके पास अधिक सोना जमा हो गया। उस पहरेदार ने रात्रि में उस सुनार को मार दिया और जिस बक्से में सोना था, उसे उठाकर चल दिया। इसी बीच सामने रहने वाले सज्जन लघुशंका के लिये उठकर बाहर आये।

उन्होंने पहरेदार को पकड़ लिया कि तू इस बक्से को कैसे ले जा रहा है? तो पहरेदारने कहां-'तू चुप रह, हल्ला मत कर। इसमें से कुछ तू ले ले और कुछ मैं ले लूँ।' सज्जन बोले-'मैं कैसे ले लूँ? मैं चोर थोड़े ही हूँ!

पहरेदार ने कहा - 'देख, तू समझ जा, मेरी बात मान ले, नहीं तो दु:ख पायेगा। पर वे सज्जन माने नहीं। तब पहरेदार ने बक्सा नीचे रख दिया और उस सज्जन को पकड़कर जोर से सीटी बजा दी। सीटी सुनते ही और जगह पहरा लगाने वाले सिपाही दौड़कर वहाँ आ गये।

उसने सबसे कहा कि,'यह इस घर से बक्सा लेकर आया है और मैंने इसके पकड़ लिया है। तब सिपाहियों ने घर में घुसकर देखा कि सुनार मरा पड़ा है। उन्होंने उस सज्जन को पकड़ लिया और राजकीय आदमियों के हवाले कर दिया। जज के सामने बहस हुई तो उस सज्जन ने कहा कि,'मैंने नहीं मारा है, उस पहरेदार सिपाही ने मारा है।' सह सिपाही आपस में मिले हुए थे, उन्होंने कहा की 'नहीं इसी ने मारा है, हमने खुद रात्रि में इसे पकड़ा है' इत्यादि। मुकदमा चला।

चलते-चलते अन्त में उस सज्जन के लिये फाँसी का हुकम हुआ। फाँसी का हुकम होते ही उस सज्जन के मुख से निकला,'देखो, सरासर अन्याय हो रहा है! भगवान् के दरबार में कोई न्याय नहीं! मैंने मारा नहीं, मुझे दण्ड हो और जिसने मारा है, वह बेदाग छूट गया, जुर्माना भी नहीं, यह अन्याय है! जज पर उसके वचनों का असर पड़ा कि उन्हे लगा कि वास्तव में यह सच बोल रहा है, इसकी किसी तरह से जाँच होनी चाहिये।

ऐसा विचार करके उस जज ने एक षड्यन्त्र रचा। सुहब होते ही एक आदमी रोता-चिल्लाता हुआ आया और बोला-'हमारे भाई की हत्या हो गयी, सरकार! इसकी जाँच होनी चाहिए।' तब जजने उसी सिपाही को और कैदी सज्जन को मरे व्यक्ति की लाश उठाकर लाने के लिये भेजा। दोनों उस आदमी के साथ वहाँ गये, जहाँ लाश पड़ी थी। खाटपर लाश के ऊपर कपड़ा बिछा था। खून बिखरा पड़ा था। दोनों ने उस खाट को उठाया और उठाकर ले चले। साथ का दूसरा आदमी खबर देने के बहाने दौड़कर आगे चला गया।

तब चलते-चलते सिपाही ने कैदी से कहा,'देख, उस दिन तू मेरी बात मान लेता तो सोना मिल जाता और फाँसी भी नहीं होती, अब देख लिया सच्चाई का फल?' कैदी ने कहा-'मैंने तो अपना काम सच्चाई से ही किया था, फाँसी की सजा हो गयी तो हो गयी! हत्या की तूने और दण्ड भोगना पड़ा मुझे भगवान् के यहाँ न्याय नहीं!

खाट पर झूठमूठ मरे हुए के समान पड़ा हुआ आदमी उन दोनों की बातें सुन रहा था। जब जजके सामने खाट रखी गयी तो खूनभरे कपड़े को हटाकर वह उठ खड़ा हुआ और उसने सारी बात जज को बता दी कि रास्ते में सिपाही यह बोला और कैदी यह बोला। फह सुनकर जज को बड़ा आश्चर्य हुआ। सिपाही भी हक्का-बक्का रह गया। सिपाही को पकड़कर कैद कर लिया गया। परन्तु जज के मन में सन्तोष नहीं हुआ।

उसने कैदी को एकान्त में बुलाकर कहा कि 'इस मामले में तो मैं तुम्हें निर्दोष मानता हूँ, पर सच-सच बताओ कि इस जन्म में तुमने कोई हत्या की है क्या?' वह बोला-बहुत पहले की घटना है। एक दुष्ट था, जो छिपकर मेरे घर मेरी स्त्री के पास आया करता मैंने अपनी स्त्री को तथा उसको अलग-अलग खूब समझाया था। पर वह माना नहीं। एक रात वह घरपर था और अचानक मैं पहुँच गया। मुझे वे खुब गुस्से में था।

मैंने तलवार से उसका गला काट दिया और घर के पीछे नदी है, उसमें फेंक दिया। इस घटना का किसी को पता नहीं लगा।

यह सुनकर जज बोला,'तुम्हें इस समय फाँसी होगी ही में भी सोच रहा था कि मैंने किसी से घूस (रिश्वत) नहीं खाई कभी बेईमानी नहीं की फिर मेरे हाथ से इसके लिये फाँसी का हुक्म लिखा कैसे गया?

अब सन्तोष हुआ। उसी पाप का फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। सिपाही को अलग फाँसी होगी। उस व्यक्ति में चोर सिपाही को पकड़कर अपने कर्तव्य का पालन किया था। फिर उसको जो दण्ड मिला है, वह उसके कर्तव्य-पालन का फल नहीं था। परंतु उसने बहुत पहले जो हत्या, की थी, उस हत्या का फल था क्योंकि मनुष्य को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, मारने का अधिकार नहीं। मारने का अधिकार रक्षक क्षत्रिय का, राजा का है। अतः कर्तव्य का पालन करने के कारण उस पाप (हत्या) का फल उसको यहीं मिल गया और परलोक के भयंकर दण्ड से उसका छुटकारा हो गया। कारण कि इस लोक में जो दण्ड भोग लिया जाता है, उसका थोड़े में ही छुटकारा हो जाता है, थोड़े में ही शुद्धि हो जाती है, नहीं तो परलोक में बड़ा भयंकर (ब्याजसहित) दण्ड भोगना पड़ता है।

इस साखी से यह पता लगता है कि मनुष्य के कब किये हुए पाप का फल कब मिलेगा इसका कुछ पता नहीं।

परमात्मा का विधान विचित्र है, जब तक पुराने पुण्य प्रबल रहते है तबतक उग्र पाप का फल भी तत्काल नहीं मिलता। जब पुराने पुण्य खत्म होते हैं, तब उस पाप की बारी आती है। पाप का फल (दण्ड) तो भोगना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में भोगना पड़े या जन्मान्तर में।

एक भाषा के बिना भारत की एकता नहीं हो सकती और वह भाषा हिन्दी है - केशवचंद्र सेन।

आज ही क्यों नहीं ?

श्रीमती हेमलता बी. पवागढ़ी
वरिष्ठ लिपिक
वित्त विभाग

एक बार की बात है कि एक शिष्य अपने गुरु का बहुत आदर-सम्मान किया करता था। गुरु भी अपने इस शिष्य से बहुत स्नेह करते थे लेकिन वह शिष्य से बहुत स्नेह करते थे लेकिन वह शिष्य अपने अध्ययन के प्रति आलसी और स्वभाव के दीर्घसूत्री था। सदा स्वाध्याय से दूर भागने की कोशिश करता तथा आज के काम को कल के लिए छोड़ दिया करता था। अब गुरुजी कुछ चितिंत रहने लगे कि कहीं उनका यह शिष्य जीवन-संग्राम में पराजित न हो जाए। आलस्य में व्यक्ति को अकर्मण्य बनाने की पूरी सामर्थ्य होती है। ऐसा व्यक्ति बिना परिश्रम के ही फलोपभोग की कामना करता है। वह शीघ्र निर्णय नहीं ले सकता और यदि ले भी लेता है, तो उसे कार्यान्वित नहीं कर पाता। यहाँ तक कि अपने पर्यावरण के प्रति भी सजग नहीं रहता है और न भाग्य द्वारा प्रदत्त सुअवसरों का लाभ उठाने की कला में प्रवीण हो पता हैं। उन्होंने मन ही मन अपने शिष्य के कल्याण के लिए एक योजना बना ली। एक दिन एक काले पत्थर का एक टुकड़ा, उसके हाथ में देते हुए गुरु जी ने कहा – 'मैं तुम्हें यह जादुई पत्थर का टुकड़ा, दो दिन के लिए दे कर, कहीं दूसरे गाँव जा रहा हूँ। जिस भी लोहे की वस्तु को तुम इससे स्पर्श करोगे, वह स्वर्ण में परिवर्तित हो जायेगी। पर याद रहे कि दूसरे दिन सूर्यास्त के पश्चात मैं इसे तुमसे वापस ले लूँगा।'

शिष्य इस सुअवसर को पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ लेकिन आलसी होने के कारण उसने अपना पहला दिन यह कल्पना करते-करते बिता दिया कि जब उसके पास बहुत सारा स्वर्ण होगा तब वह कितना प्रसन्न, सुखी, समृद्ध और संतुष्ट रहेगा, इतने नौकर-चाकर होंगे कि उसे पानी पीने के लिए भी नहीं उठना पड़ेगा। फिर दूसरे दिन जब वह प्रातःकाल जागा, उसे अच्छी तरह से याद था कि आज स्वर्ण पाने का दूसरा और अंतिम दिन है। उसने मन में पक्का विचार किया कि आज वह गुरुजी द्वारा दिए गए काले पत्थर का लाभ जरूर उठाएगा। उसने निश्चय किया कि वो बाज़ार से लोहे के बड़े-बड़े सामान खरीद कर लायेगा और उन्हें स्वर्ण में परिवर्तित कर देगा। दिन बीतता गया, पर वह इसी सोच में बैठा रहा की भी तो बहुत समय है, कभी भी बाज़ार जाकर सामान लेकर आऊँगा। उसने सोचा कि अब तो दोपहर का भोजन करने के पश्चात ही सामान लेने निकलूंगा। परंतु भोजन करने के बाद उसे विश्राम करने की आदत थी, और उसने बजाये उठ के मेहनत करने के थोड़ी देर आराम करना उचित समझा। आलस्य से परिपूर्ण उसका शरीर नीद की गहराईयों में खो गया, और जब वो उठा तो सूर्यास्त होने को था। अब वह जल्दी-जल्दी बाज़ार की तरफ भागने लगा, पर रास्ते में ही उसे गुरूजी मिल गए उनको देखते ही वह उनके चरणों पर गिरकर, उस जादुई पत्थर को एक दिन और अपने पास रखने के लिए याचना करने लगा लेकिन गुरूजी नहीं माने और उस शिक्ष्य का धनी होने का सपना चूर-चूर हो गया। पर इस घटना की वजह से शिष्य को एक बहुत बड़ी सीख मिल गयी। उसे अपने आलस्य पर पछतावा होने लगा, वह समझ गया कि आलस्य उसके जीवन के लिए एक अभिशाप है और उसने प्रण किया कि अब वो कभी भी काम से जी नहीं चुराएगा और एक कर्मठ, सजग और सक्रिय व्यक्ति बन कर दिखायेगा।

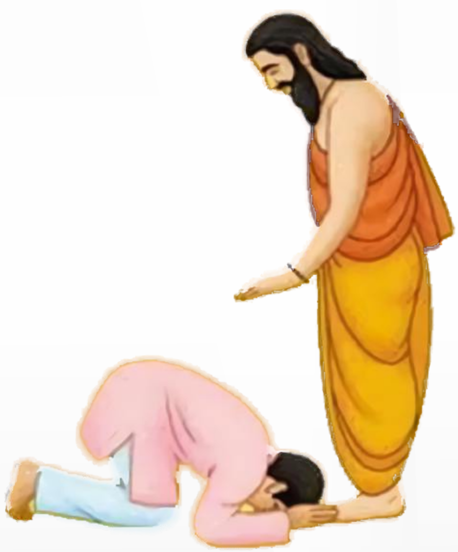

मित्रों, जीवन में हर किसी को एक से बढ़कर एक अवसर मिलते हैं, पर कई लोग इन्हें बस अपने आलस्य के कारण गवां देते हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि यदि आप सफल, सुखी, भाग्यशाली, धनी अथवा महान बनना चाहते हैं तो आलस्य और दीर्घसूत्रता को त्यागकर, अपने अंदर विवेक, कष्टसाध्य श्रम और सतत जागरूकता जैसे गुणों को विकसित कीजिये और जब कभी आपके मन में किसी आवश्यक काम को टालने का विचार आये तो स्वयं से एक प्रश्न कीजिये – 'आज ही क्यों नहीं?'

हिन्दी की समृद्धि और विकास के लिए जो कुछ भी संभव है, किया जाना चाहिए – बाबू जगजीवन राम।

कबीर अमृतवाणी

श्री सागर एच. गढवी
यातायात लिपिक
यातायात विभाग

कबीर दास जी के इस प्रसिद्ध दोहे का गहरा अर्थ है:

1. शरीर की अनित्यता :

शरीर का जन्म और मृत्यु एक निरंतर प्रक्रिया है, और यह बार-बार मरता और पुनर्जन्म लेता रहता है। इसका मतलब है कि शरीर का स्थायित्व नहीं होता, लेकिन जीवन की असली समस्या कहीं और है।

2. माया का प्रभाव :

माया, जो भौतिक दुनिया की चकाचौंध और मोह है, कभी समाप्त नहीं होती। यह जीवन के हर पहलू में फैली हुई है और हमें लगातार अपनी ओर आकर्षित करती रहती है। माया का मोह और आकर्षण कभी नहीं मिटता, और यही हमें भौतिक सुखों की ओर लुभाषा है।

3. मन की इच्छाएँ :

मन की इच्छाएँ भी स्थायी होती हैं। चाहे शरीर कितनी बार भी मरे, मन की इच्छाएँ और इच्छाएँ हमेशा बनी बही हैं। मन की तृष्णाएँ और अपेक्षाएँ कभी समाप्त नहीं होती। ये लगातार बदलती रहती हैं और नई इच्छाओं का जन्म होता रहता है।

4. आशा और तृष्णा का स्थायित्व :

आशा और तृष्णा (लालच) हमेशा कायम रहती हैं। ये जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक हैं, जो कभी खत्म नहीं होतीं। चाहे व्यक्ति कितनी भी भौतिक संपत्ति प्राप्त कर ले, उसकी आशाएँ और तृष्णाएँ कभी पूरी नहीं होतीं, और यह उसे हमेशा असंतुष्ट बनाए रखती हैं।

5. आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता :

कबीर दास जी का यह दोहा हमें सिखाता है कि सच्ची शांति और संतोष पाने के लिए हमें माया और तृष्णा से परे जाना होगा। बाहरी भौतिक वस्तुओं के पीछे भागने के बजाय, हमें आत्मा की वास्तविकता को समझना और आंतरिक शांति प्राप्त करने की ओर ध्यान देना चाहिए।

6. जीवन की सच्चाई:

जीवन की सच्चाई यह है कि बाहरी दुनिया और भौतिक चीजें स्थायी नहीं हैं। शरीर की मृत्यु और माया का मोह एक अस्थायी स्थिति है। सच्ची शांति और संतोष तभी प्राप्त होती है जब हम इन बाहरी तत्वों से ऊपर उठकर आत्मा की गहराइयों को समझें और स्वीकार करें।

कबीर दास जी का यह संदेश हमें आत्मा की वास्तविकता को पहचानने और बाहरी मोह-माया से परे जाकर जीवन की गहराई को समझने की प्रेरणा देता है।

देश की धरोहर है बेटियां

श्रीमती ज्योति एन. भावनानी
प्रधान लिपिक
सामान्य प्रशासन विभाग

जो बिन बोले सब समझ जाती हैं,
जो अपना हर फर्ज़ बखूबी निभाती हैं,
जो घर को खुशियों से महकाती हैं,
वो प्यारी सी बेटियां कहलाती हैं।

आज का समय बदल चुका हैउ आज के आधुनिक युग में बेटे और बेटी का फर्म समाप्त सा होता जा रहा है। आज शिक्षा के क्षे का विकास होने से लोगों से इस बात की जागृति आई है कि बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं है। आज लगभग हर घर में खुशी खुशी बेटियों को अपनाया जाता है।

आज इस बात को दिल से स्वीकारा गया है कि बेटियां घर की लक्ष्मी स्वरूप होती हैं। बेटियां ही है जो न सिर्फ अपने मायके में सबसे घुलमिल जाती हैं परंतु ससुराल में भी हर रिश्ता बखूबी निभाती हैं। बेटियां, बेटी, बहन, पत्नी, बहू, ननद, भाभी, मां, सांस, दादी तथा नानी इत्यादि सारे रिश्ते बखूबी निभाना जानती हैं।

बेटियां ही है जो शादी के बाद भी अपने सास ससुर के साथ-साथ अपने मां-बाप का भी ख्याल रखती है। वे कहीं पर भी अपना फर्ज पूरा करने के पीछे नहीं हटती है। बेटियां घर की रोनक हैं। वो बगिया के उस फूल की भांति है जो पूरे घर को खुशियों का ध्यान रखती हैं। बेटियां ही हैं जो त्याग करना जानती हैं। वो अपने परिवार की खुशियों के लिए अपनी सारी खुशियों को खुशी-खुशी कुर्बान कर देती हैं और इस बात की किसी से शिकायत भी नहीं करती हैं।

आज बेटियां किसी तरह से भी बेटों से कम नहीं हैं। बेटों की भांति बेटियों ने भी शिक्षा के हर क्षेत्र में अपना वर्चस्व जमाया है चाहे वो शैक्षणिक हो या राजनैतिक, धार्मिक हो या औद्योगिक विधि से संबंधित हो या सुरक्षा से संबंधित, विज्ञान से जुड़ा हो या चिकित्सा से, हर क्षेत्र में बेटियों ने अपनी धाक जमाई है और अपने परिवार का नाम रोशन किया है। बेटियां ही है जो पूरे परिवार को एक सूत्र में बांधे रखती है और कुल को आगे बढ़ाती है। अगर बेटिां ही न हो तो संसार में कोई भी रिश्ता होना असंभव हो। बेटियां दोनों परिवारों का फख हैं। बेटियों से घर की शान है। उन्हीं से हर घर में हंसी और खुशी है।

आज मात्र कुछ गिने चुने अशिक्षित लोग ही बेटी के महत्व को समझने में अक्षम हैं। जो बेटी के घर में आने से दुखी होते है। वो बेटी के जन्म से पहले भी गर्भ में भ्रुण हत्या की योजनाएं बनाते है। पर सरकार के कड़क कायदे कानूनों की वजह से उनकी ऐसी योजनाओं पर पानी फिर जाता है। आज कायदे कानून भी बेटियों के पक्ष में है, जिसमें उनको बेटों की तरह ही समान अधिकार प्रदान किए गए हैं।

बस अगर आज के समाज में कोई कमी है तो सिर्फ बेटियों की सुरक्षा की कमी है। आज नितदिन बेटियों के बलात्कार के पश्चात उनको जान से मार देने के किस्से समाचारपत्रों में छपते रहते हैं जो कि चिंता का विषय है। आज छोटी छोटी बच्चियां भी सुरक्षित नहीं हैं। वासना के वहशी दरिंदों में इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं बची है। वे इन मासूमों को भी अपनी हवस का शिकार बना देते हैं और फिर इन बिचारे मासूमों को मौत के घाट उतार देते हैं। ऐसे में अपनी बेटियों की सुरक्षा हेतु हम सभी को आगे आना होगा। ऐसी हैवानियत के विरुद्ध सबको मिलकर लड़ना होगा और सरकार को भी अपने काये कानूनों में सुधार करके अपने देश की बेटियों को सुरक्षित करना होगा और दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा देकर इस जुर्म को कम करना होगा। बेटियां हमारी और हमारे देश की धरोहर हैं, जिन्होंने युगों से इस धरती पर संसार को आगे बढ़ाया है। बेटियां हैं तो ये जहान है। बेटियां सबसे महान हैं।

मिलकर हम सभी को ये काम करना होगा,
देश की बेटियों को सुरक्षित हर हाल में करना होगा।
बुरी नज़र रखने वालों से बेटियों को बचाना होगा।
बेटियां हैं अनमोल रत्न उनको सबसे संभालकर रखना होगा।

माँ

सुश्री ईला वेदान्त
वरिष्ठ लिपिक
सिविल अभियांत्रिकी विभाग

जीवन का आधार है माँ।
ईश्वर का वरदान है माँ।।

सकल रूप उसमें हैं बसते,
सब सहती वह हँसते-हँसते,
प्रीति का पर्याय है माँ
जीवन का आधार है माँ।

नीडर, निखालस, नम्र छबी वह,
सरल, सौम्य, रवि सम तेजोमय,
शक्ति का पर्याय है माँ।
जीवन का आधार है माँ।

उससे ही घर उपवन-उपवन,
उससे सब कुछ चन्दन-चन्दन,
खुशियों की बौछार है माँ।
जीवन का आधार है माँ।

जीवन की सच्चाई

श्रीमती सोनिया जे. हेमनानी
प्रधान लिपिक
भंडार प्रभाग

एक आदमी की चार पत्नियाँ थी।

वह अपनी चौथी पत्नी से बहुत प्यार करता था और उसकी खूब देखभाल करता व उसकी सबसे श्रेष्ठ देता।

वह अपनी तीसरी पत्नी से भी प्यार करता था और हमेशा उसे अपने मित्रों को दिखाना चाहता था। हालांकि उसे हमेशा डर था कि वह कभी भी किसी दुसरे इंसान के साथ भाग सकती है।

वह अपनी दूसरी पत्नी से भी प्यार करता था। जब भी उसे कोई परेशानी आती तो वे अपनी दुसरे नंबर की पत्नी के पास जाता और वो उसकी समस्या सुलझा देती।

वह अपनी पहेली पत्नी से प्यार नहीं करता था जबकि उससे बहुत गहरा प्यार करती थी और उसकी खूब देखभाल करती थी।

एक दिन वह बहुत बीमार पड़ गया और जानता था की जल्दी ही वह मर जाएगा। उसने अपने आप से कहा,'मेरी चार पत्नियां हैं, उनमें से मैं एक को अपने साथ ले जाता हूँ.. जब मैं मरूं तो वह मरने में मेरा साथ दे।'

तब उसने चौथी पत्नी से अपने साथ आने को कहा तो वह बोली,'नहीं, ऐसा हो तो हो ही नहीं सकता और चली गयी।'

उसने तीसरी पत्नी से पूछा तो वह बोली की,'जिन्दगी बहुत अच्छी है यहाँ जब तुम मरोगे तो मैं दूसरी शादी कर लूंगी।'

उसने दूसरी पत्नी से कहा तो वह बोली,'माफ़ कर दो, इस बार मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हारे दफनाने तक तुम्हारे साथ रह सकती हूँ।'

अब तक उसका दिल बैठ सा गया और ठंडा पड़ गया। तब एक आवाज़ आई,'मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। तुम जहाँ जाओगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगी।' उस आदमी ने जब देखा तो वह उसकी पहली पत्नी थी। वह बहुत बीमार सी हो गयी थी खाने पीने के अभाव में।

वह आदमी पश्चाताप के आंसुं के साथ बोला,'मुझे तुम्हारी अच्छी देखभाल करनी चाहिए थी और में कर सकता था।'

दरअसल हम सब की चार पत्नियां हैं जीवन में।

1. चौथी पत्नी हमारा शरीर है।
   हम चाहें जितना सजा लें संवार लें पर जब हम मरेंगे तो यह हमारा साथ छोड़ देगा।
2. तीसरी पत्नी है हमारी जमा पूँजी, रुतबा।
   जब हम मरेंगे तो ये दूसरों के पासे चले जायेंगे।
3. दूसरी पत्नी है हमारे दोस्त व रिश्तेदार ।
   चाहें वे कितने भी करीबी क्यूँ ना हों हमारे जीवन काल में पर मरने बाद हद से हद वे हमारे अंतिम संस्कार तक साथ रहते हैं।
4. पहली पत्नी हमारी आत्मा है, जो सांसारिक मोह माया में हमेशा उपेक्षित रहती है। यही वह चीज़ है जो हमारे साथ रहती है जहाँ भी हम जाएँ... कुछ देना है तो इसे दो... देखभाल करनी है तो इसकी करो.. प्यार करना है तो इससे करो।

मिली थी जिन्दगी किसी के 'काम' आने के लिए,
पर वक्त बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए..
क्या करोगे इतना पैसा कमा कर..?
ना कफ़न मे 'जेब' है ना कब्र में 'अलमारी'..
और ये मौत के फ़रिश्ते तो 'रिश्वत' भी नही लेते...

आत्म दर्शन

श्री गोपाल शर्मा
स.ले.अ., स्वरचित

दुनिया की कोई भी चीज हमें परेशान नहीं कर सकती। यदि हम अपने मन को सीमीत संसाधनों के साथ जीने के लिए समझा ले। हमारा उद्देश्य अपने विचारों को दबाने का नहीं बल्के धीरे-धीरे एवं स्वाभाविक रूप से अनावश्यक एवं व्यर्थ विचारों से स्वयं को मुक्त करने का होना चाहिए ।

सहज ज्ञान युक्त शक्ति का नवनिर्माण एवं कुशल निस्पंदन से हमारा मन स्वस्थ एवं आनंदित रहेगा।

सुकून

गर्मी की पतन से बेहाल वह लस्सीवाले की दुकान पर ठंडी लस्सी का गिलास खरीदकर पीने लगी। तभी उसकी निगाह धूप से लथपथ रिक्शेवाले पर पड़ी जो कि ललचाई नजरों से उसी की ओर ताक रहा था। दूसरे ही पल दुकानदार से तीन गिलास लस्सी के पैक करवाकर रिक्शेवाले को एक गिलाश लस्सी का दिया फिर आये चलते हुए मजदुर एवं ठेलेवाले को लस्सी के गिलास दिए।

अब वह गर्मी की तपन से पसीनें में पूरी तरह लथपथ हो गई थी, किन्तु चेहरे पर 'सुकून' स्पष्ट झलक रहा था।

जानामि धर्मं

श्री राजेश वी. रोत
उप सामग्री प्रबंधक

कई वर्ष पूर्व की घटना है, जब तक सहकर्मी ने ऑफिस में आते ही सूचना दी कि आज हम सभी को एकत्रित होकर सत्यनिष्ठा की शपथ लेनी है। यह सूचना वास्तव में बेचैन कर देने वाली थी। एकाएक विश्वास ही नहीं हुआ इसलिए मैंने उससे पूछा क्या सचमुच हमें ऐसी शपथ लेनी होगी। क्योंकि ऐसी कोई शपथ लेकर उसका अनुपालन करना तो आर्थिक संकट पैदा करने जैसा था। पर जब उसने कहा कि तुम इस ऑफिस में नए हो इसलिए परेशान हो रहे हो। हम तो यह शपथ हर वर्ष लेते है। तब मन में विश्वास हो गया कि यदि और साथी भी वर्षो से यह शपथ ले रहे हे तो मैं भी ले सकता हूँ।

निश्चित समय पर हम सभी ने एकत्रित होकर बड़े ही गंभीर स्वर में परिपत्र में उल्लेखित शपथ को शब्दशः पढ़ा और सभा विसर्जन के बाद मुस्कराते हुए अपने-अपने कक्ष में लौट आए।

परन्तु मन कुछ व्याकुल था, इसलिए महाभारत का वह प्रसिद्ध श्लोक स्मरण किया जिसमे एक अति विशिष्ट पात्र यह तर्क देता है कि,'जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिर्जानाम्यधर्मं न च मे निवृत्तिः केनापि देवेन हृदि स्थितेन यता नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि'।

अर्थातः मैं धर्म को जानता हूँ, पर उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती और अधर्म को भी जानता हूँ, पर उससे मेरी निवृत्ति नहीं होती। मेरे हृदय में स्थित कोई देव है, जो मेरे से जैसा करवाता है, वैसा ही मैं करता हूँ।

वास्तव के यह तर्क मन को बड़ी ही सांत्वना देने वाला रहा है।

इसलिए ही मैं अब हर वर्ष सत्यनिष्ठा की शपथ बड़ी ही सरलता से ले पाता हूँ, कोई कठिनाई नहीं है।

सकारात्मक सोच

श्रीमती अंजु बी. आहुजा
वरिष्ठ लिपिक
समुद्री विभाग

सकारात्मक सोच है जीवन में जरूरी, तो फिर मोड़ ले,
मन को आशावादी सोच की ओर,
अवगुणों को मोड़े गुणों की ओर,
शिकवों को करे शुक्राने की ओर,
बोलो को करे कर्मों की ओर,
सकारात्मक सोच है जीवन में जरूरी।

सकारात्मक सोच है जीवन में जरूरी, तो फिर मोड़ से,
तर्क को छोड़, जोड़े खामोशी से रिश्तों की ढोर,
अंधकार को करे उजालों की ओर,
नफरत को बदले प्यार की ओर,
कल्पनाओं को मोड़े वास्तविकताओं की ओर,
सकारात्मक सोच है जीवन में जरूरी।

सकारात्मक सोच है जीवन में जरूरी, तो फिर मोड़ ले,
अवहेलना को आज्ञावादी की ओर,
ख्यालो को डाले अमलीकरण की ओर,
चलेगा जीवन स्वतः सहज राह की ओर,
किरण आशामय सोच की, लाये नया मोड़,
सकारात्मक सोच है जीवन में जरूरी।

सकारात्मक सोच

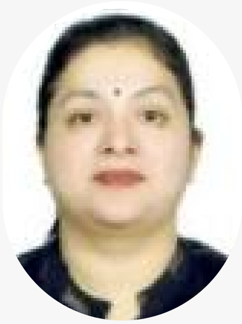

लोग हैं।

श्रीमती तन्वी कैलाश उचवानी
वरि. लिपिक,
सा. प्र. विभाग

तू अपनी खूबियां ढूंढ,
कमियां निकालने के लिए.. लोग हैं।
अगर रखना ही है कदम तो आगे रख,
पीछे खींचने के लिए लोग हैं।
सपने देखने ही है तो ऊंचे देख,
निचा दिखाने के लिए लोग हैं।
अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का,
जलने के लिए लोग हैं।
अगर बनानी है तो यादें बना,
बातें बनाने के लिए लोग हैं।
प्यार करना है तो खुद से कर,
दुश्मनी करने के लिए लोग हैं।
रहना है तो बच्चा बनकर रह,
समझदार बनाने के लिए लोग हैं।
भरोसा रखना है तो खुद पर रख,
शक करने के लिए लोग हैं।
तू बस सवार ले खुद को,
आईना दिखाने के लिए लोग हैं।
खुद की अलग पहचान बना,
भीड़ में चलने के लिए लोग हैं।
तू कुछ करके दिखा दुनिया को,
तालियां बजाने के लिए लोग हैं।

परवरिश

सुश्री पर्ल उचवानी
सुपुत्री श्री कैलाश उचवानी
सांख्यिकी सहायक

किसी घने जंगल में एक शेर और एक शेरनी साथ रहते थे। वे दोनों एक-दूसरें से बहुत प्रेम करते थे। हर दिन दोनों साथ में ही शिकार करने जाते और शिकार को मारकर साथ में बराबर-बराबर खाते थे। दोनों के बीच में विश्वास और भरोसा भी खूब था। कुछ समय के बाद ही शेर और शेरनी दो पुत्रों के माता-पिता भी बन गए। जब शेरनी ने बच्चों को जन्म दिया, तो शेर ने उससे कहा कि ''अब से तुम शिकार पर मत आना। घर पर रहकर खुद की और बच्चों की देखभाल करना। मैं अकेले ही हम सब के लिए शिकार लेकर आउंगा।'' शेरनी ने भी शेर की बात मान ली और उस दिन से शेर अकेले ही शिकार के लिए जाने लगा। वहीं, शेरनी घर पर रहती और बच्चों की देखभाल करती। बदकिस्मती से एक दिन शेर को कोई भी शिकार नहीं मिला। थकहार कर जब वह खाली हाथ घर की तरफ जा रहा था, तो उसे रास्ते में लोमड़ी के बच्चे को ही अपना शिकार बनाएगा। शेर ने लोमड़ी का बच्चा पकड़ा, लेकिन वह बहुत छोटा था, जिस वजह से वह उसे मार नहीं सका। वह उसे जिंदा ही पकड़कर घर लेकर चला गया। शेरनी के पास पहुंचकर उसने बताया कि आज उसे एक भी शिकार नहीं। रास्ते में उसे यह लोमड़ी का बच्चा दिखाई दिया, तो वह उसे ही मारकर खा जाए। शेर की बातें सुनकर शेरनी ने कहा 'जब तुम इसे बच्चे को नहीं मार पाए, तो मैं कैसे इसे मार सकती हूँ ? मैं इसे नहीं खा सकती हूं। इसे भी में अपने दोनो बच्चों की ही तरह पाल-पोसकर बड़ा करूंगी और यह अब से हमारा तीसरा पुत्र होगा। ''उसी दिन से शेरनी और शेर लोमड़ी के बेटे को भी अपने पुत्रों की तरह प्यार करने लगें। वह भी शेर के परिवार से साथ बहुत खुश था। उन्हीं के साथ खेलता-कूदता और बड़ा होने लगा। तीनों ही बच्चों को लगता था कि वह सारे ही शेर है। जब वह तीनों कुछ और बड़े हुए, तो खेलने के लिए जंगल में जाने लगें। एक दिन उन्होंने वहां पर एक हाथी को देखा। शेर के दोनों बच्चों ने लोमड़ी के बच्चे की बात नहीं मानी और हाथी के पीछे लगे रहें और लोमड़ी का बच्चा पावसर घर पर शैरनी (अपनी मां) के पास आ गया। कुछ देर बाद जब शेरनी के दोनों बच्चे भी वापस आए, तो उन्होंने जंगल वाली बात अपनी मां को बताई। उन्होंने बताया कि वह हाथी के पीछे गए, लेकिन उनका तीसरा भाई डर कर घर वापस भाग आया। इसे सुनकर लोमड़ी का बच्चा गुस्सा हो गया। उसने गुस्से में कहा कि तुम दोनों जो खुद को बहादुर बता रहे हो, मैं तुम दोनो को पटकर जमीन पर गिरा सकता हूं। लोमडी के बच्चे की बात सुनकर शेरनी ने उसे समझाया कि उसे अपने भाईयों से इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। उसके भाई झूठ नहीं बोल रहें, बल्कि वे दोनों सच ही बता रहे हैं। शेरनी की बात भी लोमड़ी के बच्चे को अच्छी नहीं लगी। गुस्से में उसने कहा, तो क्या आपको लगता है कि मैं डरपोक हूं और और हाथी को देखकर डर गया था ? लोमड़ी के बच्चे की इस बात को सुनकर शेरनी उसे अकेले में ले गई और उसे उसके लोमड़ी होने का सच बताया। हमनें तुम्हें भी अपने दोनों बच्चों की तरह ही बड़ा किया है, उन्हीं के साथ तुम्हारी की परवरिश की है, लेकिन तुम लोमड़ी वंश के हो और अपने वंश के कारण ही तुम हाथी जैसे बड़े जानवर को देखकर डर गए और घर वापस भाग आए। वहीं, तुम्हें दोनों भाई शेर के वंश के है, जिस वजह से वह हाथी का शिकार कने के लिए उसके पीछे भाग गए। शेरनी ने आगे कहा कि अभी तक तुम्हारे भाईयों को तुम्हारे लोमड़ी होने का पता नहीं है। जिस दिन उन्हें यह पता चलेगा वह तुम्हारा भी शिकार कर सकते हैं। इसलिए, अच्छा होगा कि तुम यहां से जल्द ही भाग जाओ और अपनी जान बचा लो। शेरनी से अपने बारे में सच सुनकर लोमड़ी का बच्चा डर गया, और मौका मिलते ही वह रात में वहां से छिपकर भाग गया।

कहानी से सीख : 1. शेर और शेरनी के तीसरे पुत्र की कहानी हमें यह सीख देती है कि कायर और डरपोक वंशज के लोग अगर बहादुर लोगों के बीच भी रहें, तो भी वह बहादुर नहीं बन सकते हैं। उनकी आदतों में उनकी वंशज की सोच और दक्षता की झलक बनी रहती है। 2. एक स्त्री जब माँ बनती है तो वो पूरे जगत की माँ कहलाती है, शेरनी का लोमड़ी के बच्चे की परवरिश यही शिक्षा देता है - यही पूर्ण स्त्रीतत्व और मातृरूप है। 3. बच्चों के पूर्ण विकास के लिए माँ का बच्चों के साथ रहने का नैतिक मूल्य है - शेर अपने बीवी बच्चे की परवरिश की पूरी जवाबदारी लेता है और शेरनी को शिकार पर जाने से मना करता है।

राजभाषा नियम

सा.का.नि. 1052 – राजभाषा अधिनियम, 1963, (1963 का 19) की धारा 3 की उपधारा (4) के साथ पठिता धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ :-

(क) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम 1976 है।

(ख) इनका विस्तार, तमिलनाडु राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है।

(ग) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं – इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न होः-

(क) अधिनियम से राजभाषा अधिनियम 1963 (1963 का 19) अभिप्रेत है

(ख) केन्द्रीय सरकार के कार्यालय के अंतर्गत निम्नलिखित भी है, अर्थात

– केन्द्रीय सरकार का कोई मंत्रालय, विभाग या कार्यालय

– केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किसी आयोग, समिति या अधिकरण का कोई कार्यालय और

– केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रण के अधिन किसी निगम या कंपनी या कोई कार्यालय

(ग) 'कर्मचारी' से केन्द्रीय सरकार के कार्यालय में नियोजित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है,

(घ) 'अधिसूचित कार्यालय' से नियम 10 के उपनियम (4) के अधीन अधिसूचित कार्यालय, अभिप्रेत है,

(ड़) 'हिन्दी में प्रवीणता' से नियम 9 में वर्णित प्रविणता अभिप्रेत है,

(च) 'क्षेत्र क' से बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीत समूह, दिल्ली संघ राज्फ क्षेत्र अभिप्रेत है,

(छ) 'क्षेत्र ख' से गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमण और दीव तथा दादरा और नगर हवेली राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है,

(ज) 'क्षेत्र ग' से खंड (च) और (छ) में निर्दिष्ट राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से भिन्न राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है।

(झ) 'हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान' से नियम 10 में वर्णित कार्यसाधक ज्ञान अभिप्रेत है।

3. राज्यों आदि और केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से भिन्न कार्यालयों के साथ पत्रादि :

(1) केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'क' में किसी राज्य क्षेत्र को या ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी कार्यालय (जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्रादि असाधारण दशाओं को छोड़कर हिन्दी में होंगे और यदि उनमें से किसी को कोई पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उनके साथ उनका हिन्दी अनुवाद भी भेजा जाएगा।

(2) केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से –

(क) क्षेत्र 'ख' में किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को या ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी कार्यालय (जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो) को पत्रादि सामान्यतया हिन्दीं में होंगे और यदि इनमें से किसी को कोई पत्रादि अंग्रेंजी में भेजे जाते है, तो उनके साथ उनका हिन्दी अनुवाद भी भेजा जाएगा, परंतु यदि कोई ऐसा राज्य या संघ राज्य क्षेत्र यह चाहता है कि किसी कार्यालय के लिए आशयित पत्रादि संबंध राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि तक अंग्रेजी या हिन्दी में भेजे जाएं और उसके साथ दूसरी भाषा में उसका अनुवाद भी भेजा जाएं तो ऐसे पत्रादि उसी रीति से भेजे जाएंगे।

(ख) क्षेत्र 'ख' के किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में भेजे जा सकते हैं।

(3) केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'ग' में किसी राज्य में किसी कार्यालय (जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्रादि अंग्रेजी में होगे।

(4) उप नियम (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी, क्षेत्र 'ग' में केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'क' या 'ख' में किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को या ऐसे राज्यक्षेत्र को या ऐसे राज्य में किसी कार्यालय (जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकते हैं। परंतु हिन्दी में पत्रादि ऐसे अनुात में होगें जो केन्द्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिन्दीं में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर अवधारित करे।

4. केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि :

(क) केन्द्रीय सरकार के किसी एक मंत्रालय या विभाग और किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग के बीच पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकते हैं,

(ख) केन्द्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग और क्षेत्र 'क' में स्थित संलग्न या अधीनस्थ कार्यालयों के बीच पत्रादि हिन्दीं में होंगे और ऐसे अनुपात में होंगे जो केन्द्रीय सरकार, ऐसे कार्यालयों में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिन्दी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे संबंधित आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए, समय-समय पर अवधारित करें।

(ग) क्षेत्र 'क' में स्थित केन्द्रीय सरकार के ऐसे कार्यालयों के बीच, जो खण्ड (क) या खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट कार्यालयों से भिन्न है, पत्रादि हिन्दीं में होंगे।

(घ) क्षेत्र 'क' में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों और क्षेत्र 'ख' या 'ग' में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकते है।

परंतु ये पत्रादि हिन्दी में ऐसे अनुपात में होंगे जो केन्द्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखनेवाले व्यक्तियों की संख्या, हिन्दी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे आनुषंगिक वातों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर अवधारित करें,

(ड) क्षेत्र 'ख' या 'ग' में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकते हैं।

परंतु ये पत्रादि हिन्दी में ऐसे अनुपात में होंगे जो केन्द्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिन्दी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर अवधारित करें।

परंतु जहां ऐसे पत्रादि –

– क्षेत्र 'क' या क्षेत्र 'ख' किसी कार्यालय को संबोधित है वहां यदि आवश्यक हो तो, उनका दूसरी भाषा में अनुवाद पत्रादि प्राप्त करने के स्थान पर किया जाएगा।

– क्षेत्र 'ग' में किसी कार्यालय को संबोधित है वहां, उनका दूसरी भाषा में अनुवाद, उनके साथ भेजा जाएगा।

परंतु यह और कि यदि कोई पत्रादि किसी अधिसूचित कार्यालय को संबोधित है तो दूसरी भाषा में ऐसा अनुवाद उपलब्ध कराने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

5. हिन्दी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर :-

नियम 3 और नियम 4 में किसी बात के होते हुए भी, हिन्दीं में पत्रादि के उत्तर केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से हिन्दी में दिए जाएंगे।

6. हिन्दी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग :

अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट सभी दस्तावेजो के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग किया जाएगा और ऐसे दस्तोवजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि ऐसी दस्तावेजें हिन्दी और अंग्रेजी दोनों ही में तैयार की जाती है, निष्पादित की जाती हैं और जारी की जाती हैं।

7. आवेदन, अभ्यावेदन आदि :

1. कोई कर्मचारी, आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिन्दी या अंग्रेजी में कर सकता है।
2. जब उपनियन (1) में निनिर्दिष्ट कोई आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिन्दीं में किया गया हो या उस पर हिन्दी में हस्ताक्षर किए गए हों, तब उसका उत्तर हिन्दी में दिया जाएगा।
3. यदि कोई कर्मचारी यह चाहता है कि सेवा संबंधी विषयों (जिनके अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाहियां भी है) से संबांित कोई आदेश या सूचना, जिसका कर्मचारी पर तामिल किया जाना अपेक्षित है, यथास्थिति, हिन्दी या अंग्रेजी में होनी चाहिए तो वह उसे असम्यक विलम्ब के बिना उसी भाषा में दी जाएगी।

8. केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में टिप्पणें का लिखा जाना :

1. कोई कर्मचारी किसी फाइल पर टिप्पण या कार्यवृत्त हिंदी या अंग्रेजी में लिख सकता है और उससे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह उसका अनुवाद दूसरी भाषा में प्रस्तुत करें।
2. केन्द्रीय सरकार का कोई भी कर्मचारी, जो हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखता है, हिन्दी में किसी दस्तावेज के अंग्रेजी अनुवाद की मांग तभी कर सकता है, जब वह दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का है, अन्यथा नही।
3. यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विशिष्ट दस्तावेज विधिक या तकनीकी का है या नहीं तो विभाग या कार्यालय का प्रधान उसका विनिश्चय करेगा।
4. उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा ऐसे अधिसूचित कार्यालयों को विनिर्दिष्ट कर सकती है जहां ऐसे कर्मचारियों द्वारा, जिन्हें हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है, टिप्पण, प्रारूपण और ऐसे अन्य शासकीय प्रयोजनों के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, केवल हिन्दी का प्रयोग किया जाएगा।

9. हिन्दीं में प्रवीणता :

यदि किसी कर्मचारी ने – (क) मैट्रिक परीक्षा का उसकी समतुल्या या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिन्दी के माध्यम से उत्तीणृ कर ली है, या (ख) स्नातक परीक्षा में अथवा स्नातक परीक्षा परीक्षा की समतुल्य या उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिन्दी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया हो, या (ग) यदि वह इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप में यह घोषणा करता है कि उसे हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है, तो

उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर ली है।

10. हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान :

(1) (क) यदि किसी कर्मचारी ने (।) मेट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे परीक्षा हिन्दी विषय के साथ उत्तीर्ण कर ली है या (।।) केन्द्रीय सरकार की हिन्दी परिक्षा योजना के अंतर्गत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा या यदि उस सरकार द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के पदों के सम्बन्ध में उस योजना के अंतर्गत कोई निम्नतर परीक्षा विनिर्दिष्ठ है, वह परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, या (।।।) केन्द्रीय सरकार द्वारा उस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, या (ख) यदि वह इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप में यह घोषणा करता है कि उसने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

(2) यदि केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों में से अस्सी प्रतिशत ने हिन्दी का ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो उस कार्यालय के कर्मचारियों के बारे में सामान्यतया यह समझा जाएगा कि उन्होंने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

(3) केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अधिकारी यह अवधारित कर सकता है कि केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय के कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है या नहीं।

(4) केन्द्रीय सरकार के जिन कार्यालयों में कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है उन कार्यालयों के नाम राजपत्र में अधिसूचित किए जाएंगे,

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार की राय है कि किसी अधिसूचित कार्यालय में काम करने वाले और हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत किसी तारीख में से उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट प्रतिशत से कम हो गया है, तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकती है कि उक्त कार्यालय उस तारीख से अधिसूचित कार्यालय नहीं रह जाएगा।

11. मेनुअल, संहिताएं, प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, लेखन सामग्री आदिः

(1) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी मैनुअल, संहिताएं और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, हिन्दी और अंग्रेजी में द्विभाषिक रूप में यथास्थिति, मुद्रित या साइक्लोस्टाइल किया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा।

(2) केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले रजिस्टरों के प्ररूप और शीर्षक हिन्दी और अंग्रेजी में होंगे।

(3) केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग के लिए सभी नामपट्ट, सूचना पट्ट, पत्रशीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख तथा लेखन सामग्री की अन्य मदें हिन्दी और अंग्रेजी में लिखी जाएगी, मुद्रित या उत्कीर्ण होगी।

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार ऐसा करना आवश्यक समझती है तो वह, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय को इस नियम के सभी या किन्हीं उपलब्धों से छूट दे सकती है।

12. अनुपालन का उत्तरदायित्व :

(1) केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह :

(i) यह सुनिश्चित करे कि अधिनियम और इन नियमों के उपबंधो और उपनियम (।।) के अधीन जारी किए गए निदेशों का समुचित रूप से अनुपालन हो रहा है, और

(ii) इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जांच के लिए उपाय करे।

(2) केन्द्रीय सरकार अधिनियम और इन नियमों के उपबन्धों के सम्यक अनुपालन के लिए अपने कर्मचारियों और कार्यालयों को समय-समय पर आवश्यक निदेश जारी कर सकती है।

1. (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) संशोधन नियम, 2007 है। (ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) संशोधन नियम, 2007 है। (ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 में -

नियम 2 के खंड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात (च) 'क्षेत्र क' से बिहार, छत्तीसगढ, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा अंडमान और निकोबार द्वीत समूह संघ राज्य क्षेत्र' अभिप्रेत है;

1. (।) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) संशोधन नियम, 2011 है। (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख प्रवृत्त होंगे।

2. राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के-

नियम 2 के खण्ड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात (छ) 'क्षेत्र ख' से गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमण और दीव तथा दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है।

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

अनुपालनार्थ विशेष ध्यान देने योग्य बिंदु

1. धारा 3(3) के कागजातों को द्विभाषी रूप में जारी किया जाना :

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के तहत निर्दिष्ट निम्नलिखित कागजातों को अनिवार्य रूप से द्विभाषी रूप में अर्थात हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किया जाए :

1) संकल्प (Resolution), 2) साधारण आदेश (General Orders) - परिपत्र(Circular), कार्यालय आदेश (Office Orders) इत्यादि 3) नियम (Rules), 4) अधिसूचना (Notifications), 5) प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन (Administrative or others Reports), 6) प्रेस विज्ञप्ति/Press Communiques (सभी प्रकार के विज्ञापन/All Advertiesments), 7) संसद के किसी सदन या सदनों के समक्ष रखी जानेवाली प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्ट (Administrative or other reports laid down before one house or both houses of the Parliament), 8) संसद के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले सरकारी कागज-पत्र (Official Papers laid down before the Parliament), 9) संविदा (Contracts), 10) करार (Agreements), 11) अनुज्ञप्ति (Licenses), 12) अनुज्ञापत्र (Permits), 13) सूचना (Notices), 14) निविदा-प्रारूप (Tender Forms) इत्यादि।

2. हिंदी में प्राप्त पत्रों आदि के उत्तर हिंदी में देना :

हिंदी में प्राप्त पत्रों अथवा हिंदी में हस्ताक्षरित किसी आवेदन, अपील या अभ्यावेदन का उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में ही दिए जाएँ। (राजभाषा नियम-5)

3. मूल पत्रों (Originating letters) का हिंदी में प्रेषण :

राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार निम्नवत निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप मूल पत्र (ईमेल सहित) हिंदी में भेजे जाएँ:

'क' क्षेत्र - कुल पत्रों में 90% हिंदी में ('क' क्षेत्र-अर्थात हिन्दीभाषी राज्य जैसे दिल्ली आदि)

'ख' क्षेत्र - कुल पत्रों में 90% हिंदी में ('ख' क्षेत्र-अर्थात भाषी राज्य जैसे गुजरात, महाराष्ट्र आदि)

'ग' क्षेत्र - कुल पत्रों में 55% हिंदी में ('ग' क्षेत्र अर्थात हिंदीतर भाषी शेष सभी राज्य)

4. टिप्पण कार्य (Noting) हिंदी में किया जाना :

राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप में 50% टिप्पणियाँ (Noting) हिंदी में लिखी जाएँ अर्थात हर दूसरी टिप्पणी हिंदी में लिखी जाये।

5. रजिस्टरों, फाइलों, फार्मों का द्विभाषीकरण :

1. कार्यालय में प्रयोग में आने वाले रजिस्टरों (Registers) के प्रारूप और शीर्षक द्विभाषी (अर्थात हिंदी एवं अंग्रेजी) में लिखे जाएँ तथा उनमें हिंदी में प्रविष्टियाँ की जाएँ।

2. कार्यालय में प्रयोग की जा रही फाइलो (Files) के कवर और उन पर लिखे विषय एवं विवरण आदि द्विभाषी (अर्थात

'हिंदी जैसी सरल भाषा दूसरी नहीं है।' - मौलाना हसरत मोहानी

हिंदी एवं अंग्रेजी) में ही लिखे जाएँ।

3. कार्यालय में प्रयोग में आने वाले सभी प्रपत्र/फार्म (Forms) द्विभाषी (अर्थात हिंदी एवं अंग्रेजी) रूप में ही प्रयोग किऐ जाएँ।

6. लिफाफों पर हिंदी में पते लिखना :

'क' (अर्थात हिंदी भाषी राज्य जैसे दिल्ली आदि) एवं 'ख' (अर्थात समहिंदी भाषी राज्य जैसे गुजरात, महाराष्ट्र आदि) क्षेत्रों को जाने वाले पत्रों के लिफाफे पर पते (Addresses on envelops) देवनागरी लिपि में लिखे जाएँ।

7. कोड, मैन्युअल और गजट की सामग्री का द्विभाषी प्रकाशनः

सुनिश्चित किया जाये कि कार्यालय से संबंधित सभी नियम पुस्तिकाएं (Manuals), संहिताएँ (Codes) और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य (other Procedural Literature), द्विभाषी अथवा हिन्दी और अंग्रेजी दोनो भाषाओं में मुद्रित रूप में उपलब्ध हैं। भारत के गजट में छपने वाली अधिसूचनाएं, नियम, संकल्प इत्यादि द्विभाषी (अर्थात हिंदी एवं अंग्रेजी) रूप में ही प्रेषित की जाएँ।

8. सेवापंजी में हिंदी में प्रविष्टियाँ किया जानाः

कर्मचारियों की सेवापंजियों (Service Books) में प्रविष्टियाँ हिंदी में की जाएँ।

9. कंप्यूटर पर द्विभाषी में टाइप करने की सुविधाः

कार्यालय में प्रयुक्त होने वाले सभी कंप्यूटरों में यूनिकोड द्वारा हिंदी में टंकण कार्य करने की सुविधा उपलब्ध करायी जाए।

10. रबड़ की मुहरों, नाम-पट्ट, सूचना पट्ट, स्टेशनरी की अन्य मदों का द्विभाषी रूप में बनवाया जानाः

कार्यालय में प्रयुक्त नाम पट्ट(Nameplates), सूचना पट्ट(Notice Boards), पत्रशीर्ष(Letter Heads), लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख (Inscriptions on envelops), स्टेशनरी की अन्य मदें जैसे प्रयोग में आ रही सभी रबड़ की मुहरें (Rubber Stamps), विजिटिंग कार्ड(Visiting Cards), वाहनों पर लिखा विवरण (Discription on Vehicles), लोगो(Logo), मोनोग्राम(Monogram), चार्ट(Carts), नक़्शे(Maps), बैनर(Banners), पोस्टर(Posters), साइनबोर्ड(Sign Boards), बैज/बिल्ले(Badges), फलक/पट्टिका(प्लेक/Plaques) इत्यादि द्विभाषी (अर्थात हिंदी एवं अंग्रेजी दोनो भाषाओं में) एवं यथावश्यक क्षेत्रीय भाषा में भी तैयार करवाकर ही प्रयोग किए जाएँ।

सभी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उपर्युक्त बिन्दुओं का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

प्रांतीय ईर्ष्या-द्वेष दूर करने में जितनी सहायता हिन्दी के प्रचार से मिलेगी, उतनी दूसरी चीज से नही - नेताजी सुभाषचंद्र बोस।

दिनांक : 21-09-2023 - हिंदी पखवाड़ा 2023 के तहत पोर्ट के अपतट तेल टर्मिनल, वाडीनार में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए हिंदी निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

दिनांक : 26-09-2023 - हिंदी पखवाड़ा 2023 के तहत पोर्ट के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए हिंदी कविता गायन/प्रस्तुति प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री नंदीश शुक्ल के मुख्य आतिथ्य में हिंदी पखवाड़ा 2023 का समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित हुआ जिसमें विभाग प्रमुखगण व कई अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
समारोह में मुख्य अतिथि ने पोर्ट की राजभाषा शील्ड योजना 2022-23 के तहत विजेता विभागों को शील्ड एवं प्रमाणपत्र तथा पखवाड़े के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार एवं प्रमाणपत्र दिए गए।

Azadi Ka Amrit Mahotsav

G20 भारत 2023 INDIA

लहरों का राजहंस

• 26वाँ अंक । जुलाई-दिसम्बर 2023 •

दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण में उपाध्यक्ष एवं प्रभारी अध्यक्ष, श्री नंदीश शुक्ल जी ने हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में दिनांक 14 से 29 सितंबर 2023 तक आयोजित हिंदी पखवाड़ा का उद्घाटन किया जिसमें विभाग प्रमुखों एवं बड़ी संख्या में अधिकारियों -कर्मचारियों ने भाग लिया।

दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण

(भारत का नं. 1 महापत्तन)